



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122025-268748
CG-DL-E-23122025-268748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 825]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025/अग्रहायण 28 1947

No. 825]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2025/AGRAHAYANA 28, 1947

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 911(अ).— (ई) "तटीय पोत परिवहन (विदेशी जलयानों को अनुज्ञप्ति) नियम 2026 का प्रारूप, जिसे केंद्र सरकार क्रमशः तटीय नौवहन अधिनियम, 2025 की धारा 39(1), 39(2)(क), 39(2)(ख) 39(2)(ग), 39(2)(घ), 39(2)(ज), 39(2)(ट) और धारा 39(2)(थ), के साथ पठित धारा 4(1), 4(3), 4(4), 11(3), 11(4), 12(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है एतद्वारा इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और इस आशय का नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप पर उस तिथि से तीस दिनों के बाद विचार किया जाएगा जिस दिन शासकीय राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो अवर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, -1 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001-को या usml-psw@gov.in पर ईमेल द्वारा ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकते हैं। यथा निर्धारित अवधि के भीतर उक्त मसौदा नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति से आपत्ति या सुझाव प्राप्त होते हैं तो उस पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

1 संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और प्रयोज्यता

(1) इन नियमों को तटीय पोत परिवहन (विदेशी जलयानों को अनुज्ञप्ति) नियम, 2026 कहा जाएगा

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे

(क) तटीय व्यापार में भाग लेने वाला प्रत्येक विदेशी ध्वजांकित जलयान, और

(ख) भारत के नागरिक या अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक, या किसी कंपनी या सहकारी समिति या सीमित देयता भागीदारी या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किसी भी अन्य निकाय द्वारा किराए पर लिया गया प्रत्येक विदेशी ध्वज वाला जलयान, भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान के लिए समुद्र में जा रहा है; या भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान से भारत में या भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान की ओर समुद्र की ओर बढ़ना।

2. परिभाषाएँ

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) अधिनियम से अभिप्राय है समय-समय पर संशोधित तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20)।

(ख) अनुमोदित से अभिप्राय है महानिदेशक द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत,

(ग) तटीय व्यापार से अभिप्राय है भारत में किसी भी पत्तन या स्थान से समुद्र से माल या यात्रियों को भारत में किसी अन्य पत्तन या स्थान तक ले जाना, या तटीय जलों के भीतर कोई भी सेवा करना, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का मत्स्यन कार्य शामिल नहीं होगा।

(घ) तटीय जलों से अभिप्राय अधिनियम में परिभाषित जल है।

(ङ) एक्जिम व्यापार से अभिप्राय है भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी अन्य पत्तन या स्थान तक, या भारत के बाहर किसी भी पत्तन या स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन या स्थान तक समुद्र से माल या यात्रियों की ढुलाई, या तटीय जल के बाहर कोई भी सेवा करना और सेवाओं का आयात करना।

(च) अनुज्ञप्ति से अभिप्राय अधिनियम की धारा 4 या धारा 11 के तहत महानिदेशक द्वारा जारी किया गया अनुज्ञप्ति है।

(छ) अनुज्ञप्तिधारी में स्वामी या मास्टर या चार्टरर या ऑपरेटर या महानिदेशक द्वारा ऐसे जलयान को दिए गए अनुज्ञप्ति के तहत जलयान का प्रचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल है।

(ज) पत्तन से अभिप्राय वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 2025 या भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 में परिभाषित पत्तन है।

(झ) प्रधान अधिकारी से अभिप्राय वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025 में निर्दिष्ट वाणिज्यिक समुद्री विभाग का प्रधान अधिकारी है;

(ञ) उचित अधिकारी का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खंड (34) में दिया गया है;

(ट) जलयान में समुद्री पर्यावरण में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने में सक्षम जलयान का प्रत्येक विवरण शामिल है, चाहे वह स्व-चालित हो या नहीं, जैसे पोत, नौका, नौकायन जलयान, मत्स्यन जलयान, पनडुब्बी, अर्ध-पनडुब्बी, हाइड्रोफॉइल, नॉन-डिस्प्लेसमेंट यान, उभयचल यान, विंग-इन-ग्राउंड यान, आनंद यान, बार्ज, लाइटर, मोबाइल अपतटीय ड्रिलिंग इकाइयां और मोबाइल अपतटीय इकाइयां।

(ठ) अनुसूची से अभिप्राय इन नियमों की अनुसूची है;

3. तटीय व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति

(1) कोई भी विदेशी ध्वज वाला जलयान, महानिदेशक द्वारा दिए गए अनुज्ञप्ति के सिवाय, तटीय जल में तटीय व्यापार नहीं करेगा।

4. एक्जिम व्यापार और विश्वव्यापी व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति

(1) भारत के नागरिक या अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या कंपनी या सहकारी समिति या सीमित देयता भागीदारी या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय द्वारा किराए पर लिया गया कोई भी विदेशी ध्वज वाला जलयान, भारत के किसी पत्तन या स्थान से भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान पर समुद्र में नहीं ले जाया जाएगा; या महानिदेशक द्वारा दिए गए अनुज्ञप्ति के सिवाय, भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान से भारत में या भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान के लिए समुद्र में जाना।

परन्तु यह कि, भारत के किसी विदेशी नागरिक द्वारा किराए पर लिए गए किसी भी जलयान को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि ऐसा जलयान विशिष्ट रूप से भारत के बाहर प्रचालन के लिए किराए पर लिया गया है।

5. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

- (1) अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन प्ररूप में महानिदेशक को किया जाएगा और पहली अनुसूची के अनुसार, जैसा लागू हो, दस्तावेज जमा किए जाएंगे।
- (2) अनुज्ञप्ति देने के लिए आवेदन में निम्नलिखित विवरण के आधार पर अनुरोध किए गए अनुज्ञप्ति की वर्ग और श्रेणी का उल्लेख किया जाएगा।

क. अनुज्ञप्ति वर्ग

- i. यात्रा चार्टर
- ii. समय चार्टर
- iii. माल संविदा

ख. अनुज्ञप्ति की श्रेणी

- i. निर्यात
- ii. आयात
- iii. तटीय
- iv. विश्वव्यापी
- v. अपतटीय

(3) कोई अनुज्ञप्तिधारी, जो दिए गए अनुज्ञप्ति के विवरण को संशोधित करना चाहता है, दूसरी अनुसूची के अनुसार महानिदेशक को आवेदन कर सकता है।

(4) कोई अनुज्ञप्तिधारी, जो यात्रा पूरी होने में देरी के कारण, दिए गए अनुज्ञप्ति की अवधि बढ़ाना चाहता है, पहली अनुसूची के अनुसार महानिदेशक को आवेदन कर सकता है। इस मामले में, नई एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

6 अनुज्ञप्ति के लिए फीस

(1) फीस का भुगतान, अनुज्ञप्ति के प्रकार और अवधि के लिए लागू तीसरी अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।

7 पोर्ट अनापत्ति

(1) नियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति की आवश्यकता वाले तटीय व्यापार या एक्जिम्स व्यापार में लगे प्रत्येक विदेशी ध्वज वाले जलयान को महानिदेशक द्वारा जारी वैध अनुज्ञप्ति को पत्तन अनापत्ति के उद्देश्य से उचित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

8 सत्यापन और अनुज्ञप्ति जारी करना:

(1) निम्नलिखित विवरण और दस्तावेज आवेदन के साथ सत्यापन के लिए महानिदेशक को प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात्:

क) यह घोषणा कि ऐसा कोई पूर्व मामला नहीं है जब अधिनियम या नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में शामिल नहीं हुआ है;

ख) अनुज्ञप्तिधारक को चौथी अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भारतीय जलयान के लिए प्रथम अस्वीकरण अधिकार (आरओएफआर) के अनुपालन और छठी अनुसूची के अनुसार माल संविदा आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए जारी की गई निविदाएं, पूछताछ आदि जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे।

ग) अनुज्ञप्तिधारी सातवीं अनुसूची के अनुसार जलयान पर भारतीय कर्मियों की नियुक्ति की पुष्टि करने के लिए दस्तावेज जमा करेगा।

2) उप खंड (क), (ख) और (ग) में मदों के अनुपालन सहित अनुपालन के संतोषजनक सत्यापन पर, पांचवीं अनुसूची के अनुसार एक अनुज्ञप्ति दिया जाएगा और वह शर्तों के अधीन होगा, जैसा उचित समझा जाएगा।

9. अनुज्ञप्ति का निलंबन, निरसन या संशोधन

महानिदेशक, लिखित आदेश द्वारा और उसमें दर्ज किए जाने वाले कारणों से, नियमों के तहत दिए गए अनुज्ञप्ति को निलंबित, रद्द या संशोधित कर सकता है, यदि अनुज्ञप्तिधारी, या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति—

(क) अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है; या

(ख) जलयान पर फिलहाल लागू किसी भी कानून के तहत किसी भी आवश्यकता का अनुपालन नहीं करता है; या

(ग) अधिनियम की धारा 35 के तहत जारी निर्देश का पालन नहीं करता है; या

(घ) अधिनियम के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान करने या किसी भी सजा को पूरा नहीं करता है:

परन्तु यह कि नियमों के तहत अनुज्ञप्ति का निलंबन, निरसन या संशोधन अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम के तहत उस पर लगाए गए किसी भी जुर्माने या दंड के भुगतान, या कोई भी सजा से भुगतान के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

10 अधिनियम के तहत किसी विदेशी जलयान को हिरासत में लेना।

जब कोई जलयान अधिनियम या इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो प्रधान अधिकारी जलयान का विवरण देगा और वाणिज्यिक पोत परिवहन (पत्तन राज्य नियंत्रण और फ्लैग स्टेट कार्यान्वयन) नियम, 2026 के अनुसार हिरासत की सूचना दी जाएगी।

11 अधिनियम के तहत अपराधों के शमन के लिए आवेदन।

किसी अपराध के शमन के लिए आवेदन, नौवीं अनुसूची के अनुसार शमन अधिकारी को किया जाएगा

किसी मामले में अपराध के शमन के लिए केंद्र सरकार को क्रेडिट के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण शमन अधिकारी द्वारा इसमें शामिल जुर्माने, उल्लंघन में की गई सभी यात्राओं और आकस्मिक व्यय के लिए जलयान के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त सभी शुल्क या कमीशन या भुगतान के मूल्य का आकलन करने पर किया जाएगा। शमन अधिकारी अपराध के शमन के लिए केंद्र सरकार को भुगतान की जाने वाली राशि का उल्लेख करते हुए एक आदेश जारी करेगा।

12 अधिरोपित जुर्माने के विरुद्ध अपील के लिए आवेदन।

न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध आवेदन दसवीं अनुसूची के अनुसार प्ररूप में किया जाएगा।

13. निरसन।

मर्चेट शिपिंग (लाइसेंस के फॉर्म) नियम, 1960 जो GSR 280 दिनांक 26 फरवरी, 1960 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और केंद्र सरकार द्वारा जहाजों की लाइसेंसिंग के संबंध में जारी कोई अन्य अधिसूचना या सामान्य आदेश रद्द माने जाएंगे।

[फा. सं. एसवाई-19014/182/2025-एमजी]

राजेश कुमार सिन्हा, विशेष सचिव

पहली अनुसूची:	अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन
दूसरी अनुसूची:	प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए आवेदन
तीसरी अनुसूची:	अनुज्ञप्ति के लिए फीस
चौथी अनुसूची:	प्रथम अस्वीकरण अधिकार (आरओएफआर)
पांचवी अनुसूची:	अनुज्ञप्ति प्रपत्र
छठी अनुसूची:	माल संविदा (सीओए)के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश
सातवीं अनुसूची:	अनुज्ञप्ति प्राप्त विदेशी जलयानों पर कर्मियों की आवश्यकताओं के लिए दिशानिर्देश
आठवीं अनुसूची:	अनुज्ञप्ति का आवेदन करने वाले विदेशी ध्वज वाले जलयानों के लिए प्रमाणन और गुणवत्ता संबंधी मानदंड
नौवीं अनुसूची:	अपराध के शमन के लिए आवेदन
दसवीं अनुसूची:	न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जुर्माना लगाने के आदेश के विरुद्ध अपील।

पहली अनुसूची

[नियम 5(1) और 5(4) देखें]

विदेशी ध्वजांकित जलयानों को किराए पर लेने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

1. भारत सरकार के "व्यवसाय करने में आसानी" को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप, नौवहन महानिदेशालय ने विदेशी ध्वज वाले जलयानों को किराए पर लेने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने की सुविधा के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। यह डिजिटल पहल आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाती है।

उपरोक्त पोर्टल की अनुपलब्धता की स्थिति में, सभी विवरण, दस्तावेजों और शुल्क रसीद के साथ लेटर हेड पर आवेदन महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए ई-समुद्र पोर्टल पर लॉग इन करें

(1) आवेदक <https://esamudra.dgshipping.gov.in> पर ई-समुद्र पोर्टल पर लॉग इन करेगा और "विदेशी ध्वज वाले जलयानों के लिए चार्टर अनुमति" विकल्प का चयन करेगा।

(2) नए उपयोगकर्ता के मामले में, चार्टरर के रूप में पंजीकरण ई-समुद्र पोर्टल के तहत <https://esamudra.dgshipping.gov.in> पर किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन के लिए एप्लिकेशन वर्कफ़्लो

(1) ई-समुद्र पोर्टल पर लॉग इन करें और मॉड्यूल "विदेशी ध्वज वाले जलयानों के लिए चार्टर अनुमति" का चयन करें।

(2) निर्धारित करें कि प्रस्तावित चार्टरिंग को वैश्विक निविदा के माध्यम से किया जाना है या नहीं। वैश्विक निविदा या खुली निविदा वे निविदाएं हैं जिनके लिए एक निविदा विज्ञापन, किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र या वाणिज्यिक वेबसाइटों या निविदा जारी करने वाली एजेंसी/संगठन/कंपनी की वेबसाइट पर विधिवत प्रकाशित किया गया है।

क) यदि प्रस्तावित चार्टरिंग वैश्विक निविदा के माध्यम से है

- i. नीचे दी गई तालिका 1 के अनुसार आवेदक द्वारा निम्नलिखित फ़ील्ड विधिवत भरे जाएंगे।
- ii. इस अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत निर्धारित सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
- iii. सभी विवरणों का सही होना निश्चित करने के लिए आवेदन जमा करने से पहले उसका पूर्वावलोकन करें।
- iv. निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान भारतकोश के माध्यम से करें।
- v. ई-समुद्र पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक को आवेदन जमा करें।
- vi. आवेदन और दस्तावेजों के संतोषजनक सत्यापन पर, महानिदेशक, विदेशी ध्वज वाले जलयानों को किराए पर लेने की मंजूरी दे सकते हैं, जिसके बाद आवेदक दिए गए अनुज्ञप्ति के तहत जलयान का प्रचालन कर सकता है।

ख) यदि प्रस्तावित चार्टरिंग वैश्विक निविदा के माध्यम से नहीं है

- i. यदि चार्टर वैश्विक निविदा के माध्यम से नहीं है, तो आवेदक को पहले पांच हजार रुपये (5,000 रुपये) की प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के साथ, भारतीय ध्वज वाले जलयानों की उपलब्धता के लिए पूछताछ फॉर्म भरना होगा।
- ii. भारतीय जलयान स्वामी ऐसी पूछताछ के बाद किराए पर लेने के लिए भारतीय ध्वज वाले जलयानों की पेशकश कर सकते हैं।
- iii. यदि किसी भारतीय ध्वज वाले जलयान को चार्टर के लिए चुना जाता है, तो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

- iv. यदि कोई भारतीय ध्वज वाले जलयान उपलब्ध नहीं है या चयनित नहीं है, तो फिर आवेदक विदेशी ध्वज वाले जलयान के लिए आवेदन पत्र भर सकता है।
- v. निम्नलिखित फ़ील्ड नीचे दी गई तालिका 1 के अनुसार आवेदक द्वारा विधिवत भरे जाएंगे।
- vi. इस अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत निर्धारित सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
- vii. सभी विवरणों का सही होना सुनिश्चित करने के लिए आवेदन जमा करने से पहले उसका पूर्वावलोकन करें।
- viii. निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान भारतकोश के माध्यम से करें।
- ix. ई-समुद्र पोर्टल के माध्यम से महानिदेशक को आवेदन जमा करें।
- x. आवेदन और दस्तावेजों के संतोषजनक सत्यापन पर, महानिदेशक विदेशी ध्वज वाले जलयानों को किराए पर लेने की मंजूरी दे सकते हैं, जिसके बाद आवेदक दिए गए अनुज्ञप्ति के तहत जलयान का प्रचालन कर सकता है।

4. दस्तावेज जमा करना

प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के साथ, नीचे दिए गए निम्नलिखित क्रम में दस्तावेजों वाली एक समेकित पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी:

1. ऑनलाइन जमा किया गया आवेदन;
2. शुल्क के भुगतान का प्रमाण (भारतकोश रसीद);
3. एनओसी या निविदा दस्तावेज, जो भी लागू हो (यदि वैश्विक निविदा का पालन किया गया हो तो निविदा के प्रमाण सहित);
4. चार्टर पक्षकार समझौता या फिक्स्चर नोट;
5. रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र;
6. पीएंडआई क्लब प्रमाण-पत्र
7. अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र;
8. सुरक्षित मैनिंग दस्तावेज;
9. अंतर्राष्ट्रीय टन भार प्रमाणपत्र;
10. वर्गीकरण या श्रेणी प्रमाणपत्र;
11. अंतर्राष्ट्रीय लोड लाइन प्रमाणपत्र;
12. अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
13. कार्गो पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र;
14. कार्गो पोत सुरक्षा उपकरण प्रमाणपत्र;
15. कार्गो पोत सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र;
16. अंतर्राष्ट्रीय सीवेज प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
17. अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र;
18. सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र;
19. अनुपालन का दस्तावेज;
20. एलआरआईटी प्रमाणपत्र;
21. रसायन ले जाने के लिए उपयुक्तता का प्रमाणपत्र (एनएलएस प्रमाणपत्र), यदि लागू हो;

22. आठवीं अनुसूची के अनुसार गुणवत्ता पैरामीटर की अनुपालन रिपोर्ट
23. वैध पासपोर्ट, सीओसी और सीमैन आईडी के साथ मास्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सातवीं अनुसूची के अनुसार भारतीय अधिकारी या चालक दल द्वारा मैनिंग के अनुपालन को दर्शाने वाली आईएमओ कर्मीदल सूची; और
24. कोई अन्य दस्तावेज़, जैसा कि नौवहन महानिदेशालय द्वारा आवश्यक हो।

आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण जैसे कार्गो की मात्रा, लेकेन अवधि, लोडिंग का पत्तन, डिस्चार्ज का पत्तन और अन्य विवरण एनओसी या निविदा दस्तावेजों के साथ पूर्णतः मेल खाते हैं। मात्रा का उल्लेख उचित इकाइयों (जैसे, एमटी, केबीबीएल) के साथ किया जाएगा।

तालिका 1 - आवेदन के लिए डेटा फ़ील्ड

(क) पोत का विवरण

क्र.सं.	मैदान
1	आईएमओ सं. *
2	जलयान का नाम*
3	पोत के प्रकार*
4	ध्वज*
5	डेड वेट (डीडव्यूटी)
6	आपके द्वारा ले जाने के लिए प्रस्तावित कार्गो की मात्रा*
7	लोडिंग के पत्तन *
8	सुपुर्दगी की तारीख *
9	जलयान की आयु (वर्षों में)*
10	सकल टनभार *
11	कार्गो की प्रकृति *
12	लेकैन*
13	चार्टर की अवधि (दिनों में)*
14	पोर्ट क्लियरेंस तिथि
15	सुरक्षित मैनिंग दस्तावेज़ के अनुसार चालक दल की कुल संख्या *
16	भारतीय कैडेट की कुल संख्या *
17	भारतीय चालक दल की कुल संख्या (कैडेट सहित)*
18	भारतीय कू प्रतिशत
19	भारतीय कैडेट प्रतिशत

(ख) पते का विवरण

क्र.सं.	फील्ड
1	आवेदक का नाम
2	आवेदक का फ़ोन नंबर

3	आवेदक की ई-मेल आईडी
4	देश
5	दरवाजा नं./फ्लैट नं./भवन का नाम
6	फैक्स
7	गली/सड़क
8	वेब-पेज यूआरएल
9	गांव/कस्बा/शहर
10	राज्य
11	पिन कोड
12	चार्टरर का नाम *
13	चार्टर की राष्ट्रीयता
14	देश
15	दरवाजा नं./फ्लैट नं./भवन का नाम, आदि।
16	फैक्स
17	गली/सड़क
18	वेब-पेज यूआरएल
19	गांव/कस्बा/शहर
20	राज्य
21	पिनकोड
22	दूरभाष
23	ई-मेल
24	नाम
25	नाम और पता

(ग) प्रमाणपत्र का विवरण

क्र.सं.	फील्ड
1	प्रमाणपत्रों का नाम
2	स्थिति
3	जारीकर्ता
4	जारी करने की तिथि
5	समाप्ति तिथि
6	अंतिम वार्षिक/मध्यवर्ती सर्वेक्षण तिथि
7	(टिप्पणी यदि कोई हो)
8	अपलोड करें

दूसरी अनुसूची
[नियम 5(3) देखें]

अनुज्ञप्ति में संशोधन के लिए प्रावधान और प्रक्रिया

1. सामान्य प्रावधान

- (1) एक ही अनुज्ञप्ति के संबंध में दो से अधिक संशोधन अनुरोधों की अनुमति नहीं होगी।
- (2) एक अनुज्ञप्ति के संबंध में तीन से अधिक पैरामीटरों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तीन से अधिक पैरामीटरों वाले संशोधन के किसी भी अनुरोध को एक नया मामला माना जाएगा।
- (3) दोनों में से किसी भी तरफ एक सप्ताह से अधिक की लेकेन अवधि में किसी भी बदलाव को एक नया मामला माना जाएगा।
- (4) एक नए मामले का मतलब यह होगा कि आवेदक को पहली अनुसूची के अनुसार प्रक्रिया का पालन करना होगा।

2. ई-समुद्र पोर्टल के माध्यम से संशोधन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

- (1) आवेदक वैध परिचय- पत्रों (क्रेडेंशियल्स) का उपयोग करके <https://esamudra.dgshipping.gov.in> पर ई-समुद्र पोर्टल पर लॉग इन करेगा।
 - (2) मॉड्यूल "डैशबोर्ड" में नेविगेट करें
 - (3) संबंधित जलयान का चयन करें और "संशोधन" टैब पर क्लिक करें।
 - (4) नियमों के तहत अनुमति के अनुसार लागू डेटा फ़ील्ड में आवश्यक परिवर्तन करें।
 - (5) एक एकल समेकित पीडीएफ फाइल में संशोधन के औचित्य का सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
 - (6) आवेदन का पूर्वावलोकन करें और सभी प्रविष्टियां सही होना सुनिश्चित करें।
 - (7) भारतकोश के माध्यम से निर्धारित संशोधन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें।
 - (8) ई-समुद्र पोर्टल के माध्यम से संशोधन आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करें।
 - (9) संतोषजनक सत्यापन पर, नौवहन महानिदेशालय संशोधन को मंजूरी दे सकता है और एक अद्यतन अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, जिसे "प्रमाणपत्र" खंड के तहत पोर्टल से देखा और डाउनलोड किया जा सकता है।
- 3. उपरोक्त पोर्टल की उपलब्ध न होने की स्थिति में, सभी विवरणों, दस्तावेजों और फीस रसीद के साथ लेटर हेड पर महानिदेशक को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।**

तीसरी अनुसूची
[नियम 6 (1) देखें]

अनुज्ञप्ति और संशोधन के लिए प्रक्रिया और शुल्क

1. भारतकोष के माध्यम से शुल्क भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

- 1) <https://bharatkosh.gov.in> पर जाएं।
- 2) “गैर-पंजीकृत उपयोगकर्ता” पर क्लिक करें।
- 3) जमाकर्ता की श्रेणी के अंतर्गत, “कॉर्पोरेट/वाणिज्यिक उपक्रम” चुनें।
- 4) उद्देश्य के अंतर्गत, वेतन एवं लेखा कार्यालय, नौवहन मुंबई को देय “पंजीकरण और अन्य शुल्क (नौवहन महानिदेशालय मुंबई को भुगतान)” चुनें।
- 5) भुगतान प्रकार के अंतर्गत, “नौवहन महानिदेशालय मुंबई को भुगतान” चुनें।
- 6) मंत्रालय के अंतर्गत, “नौवहन” चुनें।
- 7) लागू राशि दर्ज करें।
- 8) टिप्पणी के अंतर्गत, निम्नलिखित विवरण भरें।

क. जलयान का नाम

ख. चार्टरकर्ता का नाम

ग. ऑनलाइन आवेदन संख्या और तिथि

घ. लेकैन

ङ. पोत अनुज्ञप्ति/ चार्टरिंग अनुमति/एसपीएल _____ के लिए शुल्क (जैसा उपयुक्त हो, उल्लेख करें)

9) भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

2. विभिन्न प्रकार की चार्टरिंग अनुमतियों के लिए प्रयोज्य शुल्क

दिनांक 04.02.2010 के 2010 के एसडी परिपत्र संख्या 02 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार विदेशी ध्वजांकित जलयानों के लिए चार्टरिंग अनुमतियाँ या अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु प्रयोज्य शुल्क संरचना, नीचे तालिका 2 में दर्शायी गई है:

तालिका 2: शुल्क का व्यौरा

चार्टरिंग अनुमति का प्रकार	लागू शुल्क	उदाहरण हेतु गणना
भारतीय पोत के लिए जांच शुल्क	5000/- रुपए प्रति आवेदन	-
एकल यात्रा के आधार पर आयात/ निर्यात	पहले 30 दिनों के लिए और उसके बाद दिनों के संदर्भ में, दिन के अंश सहित 30 दिनों के प्रत्येक समीपस्थ 30 दिनों के लिए 40,000 रुपये,	40 या 60 दिन → 80,000/- रुपये

समय-आधारित आयात/निर्यात	पहले 30 दिनों के लिए 40,000 रुपये और पहले 30 दिनों के बाद के प्रत्येक अंश के लिए 1,500 रुपये प्रति दिन।	40 दिन → 55,000/- रुपये [40,000 रुपये + (1,500 रुपये × 10)]
एकल समुद्री यात्रा तटीय अनुमति (एसवीसीपी)	पहले 30 दिनों के लिए और उसके बाद दिन के अंश सहित प्रत्येक समीपस्थ 30 दिनों के ब्लॉक के लिए, 60,000 रुपये।	40 या 60 दिन → 1,20,000/- रुपये
टाईम चार्टर आधार पर तटीय	पहले 30 दिनों के लिए 60,000 रुपये; इन अवधियों के बाद किसी भी अंश के लिए 1,500 रुपये प्रति दिन और आंशिक अवधि के लिए 20,000 रुपये का शुल्क प्रभारित किया जाता है।	40 दिन → 95,000/- रुपये [60,000 + 20,000 + (1,500 × 10)]
विश्वव्यापी समय चार्टर	पहले 30 दिनों के लिए 70,000 रुपये; इन अवधियों के बाद किसी भी आंशिक के लिए 1,500 रुपये प्रति दिन और अंश अवधि के लिए 30,000 रुपये का शुल्क प्रभारित किया जाता है।	40 दिन → 1,15,000/- रुपये [70,000 + 30,000 + (1,500 × 10)]
अपतटीय संचालन (एसपीएल)	अपतटीय प्रचालनों में प्रचालित विदेशी ध्वजांकित जलयानों के लिए प्रति जलयान प्रति माह 40,000 रुपये।	40 दिन → 80,000/- रुपये [40,000/- रुपये × 2 माह]
विलम्ब शुल्क	50,000/- रुपये	—
संशोधन शुल्क	10,000/- रुपये	—

3. अपतटीय जलयानों के लिए अतिरिक्त उगाही

- 1) उपरोक्त तालिका 2 में विनिर्दिष्ट शुल्कों के अतिरिक्त, अपतटीय जलयानों के चार्टररों पर एक अलग उगाही की जाएगी, जो भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) के पास वर्गीकृत नहीं हैं और जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है। यह शुल्क नौवहन महानिदेशालय को निम्नानुसार देय होगा।

यह उगाही नौवहन महानिदेशालय को निम्नानुसार देय होगा।:

- क. सभी प्रकार के स्वचालित अपतटीय सेवा जलयानों—जैसे कि लंगर हैंडलिंग वाले टग, टग, आपूर्ति जलयान, सहायक जलयान, आदि के लिए - यह उगाही अमेरिकी डॉलर में चार्टर किराए की दर का एक प्रतिशत (1%) होगा, जिसे चार्टर किराए की अनुमति जारी किए गए दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा।
- ख. डंब बार्ज, पोंटून, गैर-चालित आवास बार्ज, जैक-अप रिग आदि जैसे गैर-प्रणोदित जलयानों के लिए, यह उगाही उप-खण्ड (क) के अन्तर्गत निर्धारित राशि का पच्चीस प्रतिशत (25%) होगा

इस अनुसूची के भाग 1 में उल्लिखित चरणों का पालन करते हुए, इसमें निर्धारित उगाही का भुगतान किया जाएगा।

चौथी अनुसूची
[नियम 8(1)(ख) देखें]

प्रथम अस्वीकृति के अधिकार (आरओएफआर) के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश

1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

भारतीय नौवहन इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने और समुद्री परिवहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी ध्वजांकित जलयानों को किराए पर लेते समय प्रथम अस्वीकृति के अधिकार (आरओएफआर) के प्रयोग हेतु एक संरचित ढांचा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य निविदा प्रक्रियाओं में प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करते हुए भारतीय ध्वजांकित और भारतीय निर्मित जलयानों को प्राथमिकता देना, स्वदेशी पोतनिर्माण की सहायता करना और भारतीय नाविकों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है।

2. सभी प्रकार की अपेक्षाओं के लिए, निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी ध्वजांकित जलयानों को किराए पर लेना या नियोजित करना।

2.1. उल्लिखित “निविदा प्रक्रिया” के माध्यम से जलयानों का चार्टरिंग/ उनका नियोजन केवल खुली/वैश्विक निविदाओं के लिए लागू होगा और अन्य माध्यमों से चार्टरिंग/ उनका नियोजन को “गैर-निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से चार्टरिंग/ उनका नियोजन” माना जाएगा। निम्नलिखित परिभाषा के अंतर्गत “निविदा प्रक्रिया” को वैध माना जाएगा:

2.1.1. निविदाएं खुली या वैश्विक निविदाएं होंगी, जिनके लिए निविदा विज्ञापन, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र या वाणिज्यिक वेबसाइटों या निविदा जारी करने वाली एजेंसी/संगठन/कंपनी की वेबसाइट पर विधिवत प्रकाशित किया गया हो;

2.1.2 निविदा में निविदा विज्ञापन में दिए गए जलयान के तकनीकी विनिर्देश और वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें शामिल हैं। यदि निविदा विज्ञापन में दिए गए जलयान के तकनीकी विनिर्देशों से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले को डीजीएस को इस निर्णय के लिए भेजा जा सकता है कि क्या विनिर्देशों में मामूली अंतर वाले भारतीय जलयान या विदेशी ध्वज वाले जलयान को किराए पर लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, यह निर्णय संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद लिया जाएगा।

3. प्रथम अस्वीकृति का अधिकार:

“प्रथम अस्वीकृति का अधिकार” एक ऐसा अधिकार है जो निविदा प्रक्रिया में बोली लगाने वाले को प्राप्त होता है, जो पैरा 3.3.4 में सूचीबद्ध श्रेणी से किसी जलयान की पेशकश करता है, बशर्ते कि वह पैरा 3.3.4 के तहत सूचीबद्ध नहीं किए गए जलयान की पेशकश करने वाले बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित सबसे कम दर से मेल खाता हो। प्रथम अस्वीकृति के अधिकार के लिए वरीयता क्रम पैरा 3.3.4 में यथा उल्लेखित होगा। यह अधिकार उद्योग के व्यवहारों और भारतीय पोत निर्माण उद्योग और भारतीय नौवहन उद्योग के प्रोत्साहन और विकास के प्रति केंद्र सरकार की सुविचारित मंशा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

3.1. जब तक जलयान तकनीकी बोली मूल्यांकन में सफल नहीं हो जाता, संबंधित बोलीदाता इस परिपत्र के अंतर्गत प्रथम अस्वीकृति के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

3.2. जब भी पैरा 20 में विनिर्दिष्ट निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किसी जलयान का चार्टर/नियोजन किया जाता है, तो इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को शामिल करना अपेक्षित है।

चाहे ये दिशानिर्देश किसी निविदा में शामिल किए गए हों या नहीं, इन्हें निविदा दस्तावेजों के एक भाग के रूप में शामिल माना जाएगा।

3.3. वे परिस्थितियाँ, जिनके अंतर्गत आरओएफआर का प्रयोग किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं:

3.3.1. एल1 बोलीदाता एक विदेशी नागरिक या भारत के बाहर पंजीकृत संस्था है, जो पैरा 3.3.4 में सूचीबद्ध नहीं किए गए जलयान का प्रस्ताव कर रहा है।

3.3.2. एल1 बोलीदाता भारत का नागरिक है या भारत में पंजीकृत कंपनी है या भारत में पंजीकृत सोसायटी है जिसके पास ऐसा जलयान है जो पैरा 3.3.4 में सूचीबद्ध नहीं है।

3.3.3. आरओएफआर का उपयोग करने के लिए पात्र बोलीदाताओं में से, इस अधिकार का प्रयोग करने की प्राथमिकता नीचे पैरा 3.3.4 में उल्लिखित क्रम में होगी और यदि किसी विशेष श्रेणी में एक से अधिक बोलीदाता उपलब्ध हैं, तो खरीद वरीयता के लाभ के भीतर सबसे कम से उच्चतम बोली लगाने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। आरओएफआर का प्रयोग उस क्षण समाप्त हो जाएगा जैसे ही प्राथमिकता क्रम में कोई पात्र बोलीदाता एल1 से मेल खा जाएगा। जो भी बोलीदाता भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले जलयान का प्रस्ताव करेगा, उसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले जलयान की अनुपलब्धता की स्थिति में, आरओएफआर विदेशी निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाले जलयान पर और फिर भारतीय निर्मित, विदेशी ध्वज वाले और विदेशी स्वामित्व वाले जलयान को चला जाएगा।

3.3.4 अधिक स्पष्टता के लिए, आरओएफआर का निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:-

- (क) भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाला,
- (ख) भारतीय निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए के स्वामित्व वाला,
- (ग) विदेशी निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय स्वामित्व वाला,
- (घ) विदेशी निर्मित, भारतीय ध्वजांकित और भारतीय आईएफएससीए के स्वामित्व वाला,
- (ङ) भारतीय निर्मित, विदेशी ध्वजांकित और विदेशी स्वामित्व वाला

परंतु कि

1. नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी किए गए नए परिपत्र की तिथि (उस तिथि की मध्यरात्रि) तक भारत का ध्वज फहराने वाले (अर्थात् भारत में पंजीकृत) सभी जलयानों को भारतीय निर्मित जलयान माना जाएगा और वे उपरोक्त श्रेणी (क) में आएंगे।

2. नौवहन महानिदेशालय द्वारा एमएस अधिनियम, 1958 की धारा 406 के अंतर्गत भारतीय ध्वज के अंतर्गत पंजीकरण हेतु भारतीय शिपयार्ड में पोत निर्माण करने वाले किसी भारतीय नागरिक/कंपनी/सोसायटी द्वारा अस्थायी रूप से निर्माणाधीन भारतीय पोत के स्थान पर किराए पर लेने की अनुमति प्राप्त विदेशी ध्वजांकित जलयान, निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा करने पर, उपरोक्त श्रेणी [क] के अंतर्गत माने जाएंगे:

क) अनुबंध राशि का 25% भारतीय शिपयार्ड को भुगतान कर दिया गया है।

ख) हल बनाने का 50% निर्माण कार्य मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा यथा प्रमाणित पूरा हो चुका है।

ऐसे चार्टर्ड जलयान की अनुज्ञप्ति की अवधि, पोत निर्माण अनुबंध में उल्लिखित पोत के निर्माण की अवधि तक सीमित होगी।"

3. जहां कोई बोलीदाता जो पैरा 3.3.4 में निर्दिष्ट श्रेणियों में नहीं आने वाले जलयान की पेशकश करता है, परिचालन शुरू होने से पहले लेकिन मूल्य बोली खुलने के बाद, ऐसे पोत को पैरा 3.3.4 (क) या (ख) में निर्दिष्ट श्रेणियों में परिवर्तित करने का वचन देता है, तो ऐसे पोत पर तभी विचार किया जा सकता है जब पैरा 21.3.4 में निर्दिष्ट श्रेणियों में आने वाले किसी पोत की पेशकश करने वाला बोलीदाता सबसे कम मूल्य से मेल खाने में विफल रहा हो। ऐसी स्थिति में, निविदा प्रदान करने वाला प्राधिकरण निविदा प्रदान करने में निवारक दंड शामिल करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वचन देने वाला बोलीदाता अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रारंभ से पहले जलयान को पैरा 3.3.4 (क) या (ख) में विनिर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी एक में परिवर्तित कर देगा।

3.3.5. इसके अतिरिक्त, विदेशी ध्वजांकित जलयानों के इन-चार्टर के लिए सभी जांचों पर आरओएफआर लागू होगा, जो खरीद वरीयता (मूल्य बैंड) के 20% लाभ अर्थात् वह अधिकतम सीमा जिस तक किसी भारतीय कंपनी द्वारा उद्धृत मूल्य खरीद वरीयता के उद्देश्य से एल1 से अधिक हो सकता है के भीतर आते हैं।

3.3.6. यदि आरओएफआर का प्रयोग करने के लिए पात्र बोलीदाताओं में से कोई भी एल1 बोली से मेल नहीं खाता है, तो चार्टर एल1 बोलीदाता को प्रदान किया जाएगा।

4. जो बोलीदाता आरओएफआर का प्रयोग करता है, उसे न्यूनतम कंपोजिट प्रभावी मूल्य के बराबर मूल्य निर्धारित करके वाणिज्यिक अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी जलयान के पक्ष में किसी को भी मूल्य वरीयता नहीं दी जाएगी। समग्र प्रभावी मूल्य निविदा प्रक्रिया में किसी बोलीदाता/प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मूल्य इनपुट से प्राप्त आंकड़ा है, जिसमें सभी लागतों/इनपुट का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इस प्रकार के समग्र प्रभावी मूल्य की गणना करते समय, दैनिक किराया/दैनिक दर, मोबिलाइज़ेशन/डीमोबिलाइज़े प्रभारों, कॉल आउट दरें और कन्वर्जन शुल्क आदि जैसे इनपुट को ध्यान में रखा जाता है।

पांचवीं अनुसूची

[नियम 8(2) देखें]

अनुज्ञप्ति का प्रारूप

1. इन नियमों के अंतर्गत अनुज्ञप्ति और अनुमोदन जारी करने में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मुंबई स्थित नौवहन महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित मानक प्रारूपों को अपनाया जाएगा। इन प्रारूपों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की किराए पर लेने की अनुमतियों और संबंधित स्वीकृतियों के लिए किया जाना है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

प्रपत्र-क: माल – संविदा अनुबंध (सीओए) के तहत जलयानों के किराए पर लेने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति

सं. _____

दिनांक: _____

सेवा मे

मेसर्स

मार्फत मेसर्स.

विषय: " " से " " तक शिपमेंट के लिए माल- संविदा अनुबंध (सीओए) के अंतर्गत जलयानों को किराए पर लेने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर दिनांकित आपके आवेदन के संदर्भ में, मुझे यह सूचित करने का निदेश दिया हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने _____ से _____ की अवधि के दौरान माल – संविदा (सीओए) पर _____ से _____ तक _____ की मात्रा के प्रत्येक शिपमेंट के परिवहन के लिए 'सैद्धांतिक स्वीकृति' प्रदान की है।

चूंकि सीओए के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, इसलिए प्रत्येक शिपमेंट के लिए आवश्यक मंजूरी, अनुबंध के समय _____ के दौरान जलयानों के निश्चित होने पर, बाकी 50% भुगतान करने के बाद ही लेनी चाहिए।

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-ख: विदेशी ध्वजांकित जलयानों के लिए किराए पर लेने की अनुमति-सह-अनुज्ञप्ति (आयात/निर्यात/तटीय)

चार्टरिंग अनुमति-सह अनुज्ञप्ति

Chartering Permission-cum License

सं./No.

दिनांक/Dated:

To/ सेवामे

मेसर्स / M/s

C/o M/s

विषय: विदेशी ध्वज पोत "के लिए चार्टर अनुमति/ अनुज्ञप्ति प्रदान करना।

Sub.: Grant of Charter permission/License for foreign flag vessel "".

उपर्युक्त विषय पर दिनांक के आपके आवेदन के संदर्भ में मुझे सूचित करना है कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार विदेशी ध्वज पोत"" को चार्टरिंग की अनुमति प्रदान की है:

With reference to your application dated _____ on the captioned subject, the permission for chartering of the foreign flag ship "" is accorded as per the details mentioned below.:

1.	जलयान का नाम/Name of vessel	
2.	आईएमओ संख्या/IMO Number	
3.	ध्वज/Flag	
4.	अनुमति का प्रकार/Type of permission	
5.	स्वामी का नाम/Name of the Owner	
6.	डिस्पोजेंट स्वामी/Disponent Owner	

7.	चार्टरर का नाम/Name of Charterer	
8.	माल/Cargo	
9.	मात्रा/Quantity	
10.	लेकन/Laycan	
11.	चार्टर की अवधि/Period of Charter	
12.	लोडिंग का पत्तन/Port of loading	
13.	माल उतारने का पत्तन/Port of discharge	
14.	पीएंडआई क्लब/P & I Club	
15.	क्लास /Class	
16.	शर्तें/Conditions	1. यह अनुमति/ अनुज्ञप्ति इस शर्त के अधीन है कि आप चार्टर/ अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान हर समय वैध सभी लागू प्रमाण पत्र और पोत के पीएंडआई क्लब प्रमाण पत्र को अपने पास रखेंगे/This Permission/License is subject to the condition that you shall keep all applicable certificates and P&I club certificate of the vessel, valid at all times during the charter/License period. 2. भारतीय जल क्षेत्र में परिचालन करते समय पोत पर उपयोग किए जाने वाले समुद्रीय मोबाइलवी-सैट टर्मिनल को 14.12.2018 को अधिसूचित संचार मंत्रालय के उड़ान और समुद्री संपर्क नियम, 2018 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा/Maritime Mobile V-SAT terminal used on-board the vessel while operating in Indian waters needs to Comply with requirements specified in the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018 of the Ministry of Communication notified on 14.12.2018. 3. उपरोक्त विवरण में किसी भी परिवर्तन से अनुज्ञप्ति अमान्य हो जाएगा/ Any changes in the above particulars renders the license invalid.

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र ग: अपतटीय / निर्दिष्ट अवधि अनुज्ञप्ति (एसपीएल) के लिए चार्टरिंग अनुमति

चार्टरिंग अनुमति-सह अनुज्ञप्ति
Chartering Permission-cum License

सं./No. _____

दिनांक/Dated: _____

To/ सेवा मे

मेसर्स /M/s. ----

C/o M/s ---

विषय: विदेशी ध्वज जलयान '-----' के लिए चार्टर अनुमति/अनुज्ञप्ति प्रदान करना।

Sub.: Grant of Charter permission/License for foreign flag vessel "-----".

उपर्युक्त विषय पर आपके आवेदन के संदर्भ में आपको यह सूचित करने का मुझे निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विदेशी ध्वज पोत " " को भारतीय समुद्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार चलाए जाने हेतु अनुमति प्रदान की है: With reference to your application on the captioned subject, I am directed to inform you that the competent authority has accorded permission for operation in Indian waters for the foreign flag ship " " नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

1.	जलयान का नाम/Name of vessel	
2.	आईएमओ संख्या/IMO Number	
3.	ध्वज/Flag	
4.	अनुमति का प्रकार/Type of permission	
5.	अपतटीय कार्य करने वाली कंपनी का नाम/Name of the company performing offshore work	
6.	अवधि / Period	
7.	संचालन का क्षेत्र/Area of operation	
8.	पीएंडआई क्लब/P & I Club	
9.	क्लास /Class	
10.	शर्तें/Conditions	1. यह अनुमति/ अनुज्ञप्ति इस शर्त के अधीन है कि आप चार्टर/अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान हर समय वैध सभी लागू प्रमाणपत्र और पोत के पीएंडआई क्लब प्रमाणपत्र को अपने पास रखेंगे/This Permission/License is subject to the condition that you shall keep all applicable certificates and P&I club

		certificate of the vessel, valid at all times during the charter/License period. 2. भारतीय समुद्र में परिचालन करते समय पोत पर उपयोग किए जानेवाले समुद्रीय मोबाइल वी-सैट टर्मिनलको 14.12.2018 को अधिसूचित संचार मंत्रालय के उड़ान और समुद्रीय संपर्क नियम, 2018 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा/Maritime Mobile V-SAT terminal used on-board the vessel while operating in Indian waters needs to Comply with requirements specified in the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018 of the Ministry of Communication notified on 14.12.2018. 3. उपरोक्त विवरण में किसी भी परिवर्तन से अनुज्ञप्ति अमान्य हो जाएगा/ Any changes in the above particulars renders the license invalid. 4. सामान्य पोत चालन कर्मियों के अलावा..व्यक्तियों से अधिक न ले जाएं/ Not to carry more than xx persons other than normal ship operating crew.
11.	डीपीए का नाम और संपर्क विवरण/Name and contact details of DPA	

जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर

छठी अनुसूची

[नियम 8 (1) (ख) देखें]

माल संविदा के लिए अनुज्ञप्ति (सीओए) प्रदान करने हेतु दिशानिर्देश

1. माल संविदा (सीओए) की प्रयोज्यता

माल संविदा (सीओए) उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां संविदा के समय किसी विशिष्ट जलयान को नामांकित करने की आवश्यकता के बगैर एकमात्र वाणिज्यिक करार के तहत कई यात्राओं सहित दीर्घकालिक, बारंबार या निरंतर आधार पर कार्गो के परिवहन की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कार्गो की एक निश्चित मात्रा को कई महीनों या वर्षों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जहां जलयान की तैनाती को लचीला बनाए रखने की आवश्यकता होती है, या जहां चार्टरर संविदा की अवधि के दौरान स्थिर मालभाड़ा दर चाहता है। सीओए में आमतौर पर थोक वस्तुएं अपेक्षित होती हैं जिन्हें सिंगल यात्रा में नहीं ले जाया जा सकता है या परिचालन या वाणिज्यिक विचारों के कारण कई लॉट में ले जाया जाना होगा। सीओए ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि लंबी अवधि की कार्गो प्रतिबद्धताओं को प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, जिसमें भारतीय टन भार को प्रथम अस्वीकरण अधिकार (आरओएफआर) के तहत

भाग लेने का अवसर मिलता है, और सीओए के तहत कार्गो आवाजाही की पूरी अवधि के लिए नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

2. सीओए पर जलयानों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश

- I. सीओए प्रस्तावों पर अनुज्ञप्ति की अवधि सामान्यतः एक वर्ष तक सीमित रहेगी। हालांकि, विशेष मामलों में जहां चार्टरकर्ता उचित और पर्याप्त कारण प्रस्तुत कर सकता है, इसे 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम अनुमत अवधि 3 वर्ष होगी।
- II. चार्टरकर्ता को पूछताछ परिचालित करनी चाहिए/ या आईएनएसए और भारतीय तटीय सम्मेलन नौवहन एसोसिएशन (आईसीसीएसए) के माध्यम से भारतीय पोत स्वामियों सहित पोत स्वामियों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) आमंत्रित करनी चाहिए।
- III. यदि 2 निर्धारित कार्यदिवसों के भीतर भारतीय पोत स्वामियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, तो चार्टरकर्ता प्रस्तावित विदेशी ध्वजांकित जलयानों के पक्ष में अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति के लिए महानिदेशक को आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- IV. बोली में भाग लेने वाले भारतीय पोत स्वामियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रथम अस्वीकरण का अधिकार होगा। बोली में भाग न लेने वाले पोत स्वामियों को बाद के चरण में इस अधिकार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा:-
 - (i) भारतीय ध्वजांकित जलयानों को भारतीय पोत स्वामियों द्वारा व्यापार की अपेक्षित सभी तकनीकी और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को व्यापक रूप से पूरा करना चाहिए;
 - (ii) भारतीय पोत स्वामियों प्रथम अस्वीकरण के अधिकार का प्रयोग करने के पात्र तभी होंगे जब वे विदेशी ध्वजांकित जलयानों के विरुद्ध उद्धृत न्यूनतम मूल्य के बराबर बोली लगाएं। यदि एक से अधिक पक्ष न्यूनतम दर के बराबर बोली लगाते हैं, तो बोली में भाग लेने के पात्र पक्ष का निर्णय उद्धृत मूल दर के आधार पर किया जाएगा;
 - (iii) भारतीय पोत स्वामी प्रस्तावित सीओए के संपूर्ण निष्पादन के लिए अपने स्वयं के जलयान(जलयानों) की पहचान करेंगे और उसे(उन्हें) प्रस्तावित करेंगे। यदि भारतीय पोत स्वामियों द्वारा प्रस्तावित जलयान निर्माणाधीन हैं, तो ऐसे प्रस्तावों पर केवल भारतीय पोत स्वामियों द्वारा दिए गए इस वचनपत्र के आधार पर विचार किया जाएगा कि संविदा प्रारंभ होने से पहले जलयान को भारतीय ध्वजांकित जलयान में परिवर्तित कर दिया जाए।
 - (iv) पर्याप्त संख्या में भारतीय ध्वजांकित जलयान के अनुपलब्ध होने की स्थिति में, भारतीय पोत स्वामियों द्वारा विदेशी ध्वजांकित जलयानों का किराया संविदा की कुल आवश्यकता के 5/6 (छह में से पांच) तक ही अनुमत होगा। यदि भारतीय पोत स्वामियों के पास अपेक्षित टन भार का 1/6 (छह में से एक) हिस्सा नहीं है, तो वे प्रथम अस्वीकरण अधिकार का प्रयोग करने के पात्र नहीं होंगे। चार्टरकर्ता संविदा के समापन के समय इस शर्त की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारतीय ध्वजांकित जलयानों बनाम विदेशी ध्वजांकित जलयानों द्वारा ढुलाई किए गए टन भार की मात्रा/आयतन की सूचना महानिदेशालय को देगा।
 - (v) यदि भारतीय पोत स्वामी द्वारा "प्रथम अस्वीकरण अधिकार" का प्रयोग किया जाता है, तो सीओए के संपूर्ण निष्पादन के लिए उसी जलयान(जलयानों) को तैनात करना अनिवार्य होगा और भारतीय पोत स्वामी को किसी अन्य सीओए के लिए उसी जलयान(जलयानों) का प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक परिस्थितियों में, भारतीय पोत स्वामी को अपने बेड़े से जलयानों को अन्य भारतीय ध्वजांकित जलयान(जलयानों) को प्रतिस्थापित करने की अनुमति होगी, लेकिन किसी भी विदेशी ध्वजांकित जलयान के साथ नहीं।
 - (vi) पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चार्टरकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए उचित दस्तावेज रखेगा कि प्रथम अस्वीकरण के अधिकार के लिए 10% मूल्य अंतर मानदंड की पूर्ति को प्रदर्शित करने के लिए सभी रिकॉर्ड सही ढंग से बनाए रखे गए हैं।
- V. चार्टरकर्ता उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के बाद और अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा समर्थन मिलने के बाद तथा सी.ओ.ए. की पूरी अवधि के लिए अपेक्षित प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करने के बाद, "सैद्धांतिक स्वीकृति" हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यात्रा की अनुमति मिलने की स्थिति में, अनुमानित यात्राओं के लिए प्रारंभिक शुल्क देय होगा। चार्टरकर्ता को प्रारंभिक

- चरण में ही जलयानों के प्रकार और संख्या, ले जाने वाले माल की प्रकृति और मात्रा, लोडिंग और अनलोडिंग पत्तनों, संविदा की अवधि आदि से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- VI. सीओए के निष्पादन के दौरान, चार्टरकर्ता अपेक्षित दस्तावेजों के साथ जलयान(जलयानों) की पहचान हो जाने पर महानिदेशक को अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। इस चरण में चार्टरकर्ता यात्रा अनुमति शुल्क का 50% भुगतान करेगा।
- VII. (i) यदि आईएनएसए या कोई भी शिपिंग कंपनी, महानिदेशक के संज्ञान में यह बात लाती है कि किसी चार्टरर ने विदेशी ध्वजांकित जलयानों को चार्टर करते समय इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो महानिदेशक शिकायत के विधिवत सत्यापन के बाद संबंधित चार्टरर को दंडित करने के लिए उचित उपाय करेगा, जिसे वह ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक समझे।
- (ii) यदि यह संदेह हो कि जांच/या आईसीबी में दिए गए जलयान के तकनीकी विनिर्देश भारतीय ध्वजांकित जलयानों से बचने के इरादे से जानबूझकर तैयार किए गए थे, तो मामले को महानिदेशक को इस निर्णय के लिए भेजा जा सकता है कि क्या विनिर्देशों में मामूली अंतर वाले भारतीय जलयान को किराए पर लिया जाना चाहिए, न कि विदेशी ध्वजांकित जलयान को। जहां तक संभव हो, यह निर्णय संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद लिया जाएगा।
- (iii) यदि भारतीय ध्वजांकित पोतों के चार्टर पर बकाया भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो महानिदेशक यह निर्णय ले सकता है कि ऐसे बकाया आवेदकों को आगे कोई अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं किया जाएगा।
- VIII. इन दिशा-निर्देशों में निहित किसी भी प्रावधान पर विवाद की स्थिति में, नौवहन महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

सांतवीं अनुसूची

[नियम 8 (1) (ग) देखें]

अनुज्ञप्तिप्राप्त विदेशी जलयानों पर कार्मिकों की अपेक्षाओं के लिए दिशा-निर्देश

1. प्रयोज्यता

यह अनुसूची तटीय व्यापार, अपतटीय प्रचालन या भारतीय तटीय जल क्षेत्र में संबंधित समुद्री गतिविधियां करने के लिए इन नियमों के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी विदेशी-ध्वजांकित जलयानों पर लागू होती है।

2. कार्मिकों की आवश्यकताएं

(क) अनुज्ञप्ति अवधि 30 दिन से अधिक लेकिन 90 दिन से कम हो:

कार्मिक सुरक्षा मानदंडों या वास्तविक तैनाती- जो भी अधिक हो- के अनुसार, कुल चालक दल (अधिकारियों और रेटिंग) का कम से कम एक तिहाई (1/3) वैध भारतीय प्रमाण पत्र धारक भारतीय नागरिक होंगे।

(ख) 90 दिनों से अधिक की अनुज्ञप्ति अवधि:

कार्मिक सुरक्षा मानदंडों या वास्तविक तैनाती- जो भी अधिक हो- के अनुसार, कुल चालक दल (अधिकारियों और रेटिंग) का कम से कम आधे (1/2) वैध भारतीय प्रमाण पत्र धारक भारतीय नागरिक होंगे।

3. प्रशिक्षु कैडेट की सहभागिता

(क) उपर्युक्त खंड (क) और (ख) के तहत तैनात भारतीय चालक दल के कम से कम 15 प्रतिशत (15 %) प्रशिक्षु कैडेट या प्रशिक्षु अधिकारी होंगे, जिन्हें, जहां तक व्यवहार्य हो, नौचालन और इंजीनियरिंग विभागों के बीच समान रूप से आबंटन किया जाएगा।

(ख) पोतस्वामी अपने विवेकानुसार, उपर्युक्त खंड (क) और (ख) के अंतर्गत तैनात भारतीय चालक दल के अनेक सदस्यों के स्थान पर भारतीय कैडेट को ले सकते हैं।

4. संचयी चार्टर अवधि

जहां, विभिन्न चार्टरों वाले मामलों सहित, अनुज्ञप्ति अवधि को जारी नहीं किया जाता है, उपर्युक्त कार्मिक अपेक्षाएं उस समय लागू होंगी जब कभी उस जलयान के लिए संचयी अनुज्ञप्ति अवधि एक कैलेंडर वर्ष में क्रमशः 30 या 90 दिनों से अधिक हो। कार्मिक संबंधी शर्तें, उस दिन से प्रभावी होती हैं जब सीमा रेखा पार की जाती है।

5 गणना विधि

अपेक्षित भारतीय कार्मिकों (कैडेटों को छोड़कर अधिकारी और चालकदल) की संख्या निर्धारित करने के लिए किसी भी भिन्न संख्या को अगले उच्चतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा।

आठवीं अनुसूची

[नियम 5(1) और प्रथम अनुसूची देखें]

अनुज्ञप्ति मांगनेवाले विदेशी ध्वजांकित जलयानों के लिए प्रमाणन और गुणात्मक मापदंड

1. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाले विदेशी ध्वजांकित जलयानों के संबंध में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करते समय नीचे दिए गए प्रमाणन और गुणात्मक मापदंडों का पालन करेंगे। प्रवेश आयु सीमा से अधिक पुराने विदेशी ध्वजांकित जलयानों का अनुज्ञप्ति जारी करने पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित प्रवेश आयु सीमा के भीतर आने वाले जलयानों के पास अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करते समय प्रमाणन और गुणात्मक मापदंडों का अनुपालन होना चाहिए।
2. यथाप्रयोज्य एमओडीयू/एसपीएस संहिता, के तहत प्रमाणित यात्री जलयानों, एफएसआरयू, एफपीएसओ, अत्यधिक विशेषीकृत जलयानों (अन्य बातों के साथ-साथ, भारी लिफ्ट संस्थापना बार्ज, क्रेन बार्ज, पाइप बिछाने वाले जलयान, केबल बिछाने वाले जलयान, अनुसंधान जलयान और फ्लोटिंग डॉक), ट्रेजर्स, डीपी2 डाइविंग सपोर्ट जलयानों, डीपी2 वेल स्टीमुलेशन जलयानों और ड्रिलिंग/उत्पादन इकाइयों पर निम्नलिखित अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी।
3. जलयान की आयु की गणना "सुपुर्दगी की तारीख" से की जाएगी जैसा कि आईएमओ कन्वेंशन/कोड के तहत जारी कार्गो पोत सुरक्षा निर्माण प्रमाणपत्र या किसी अन्य वैधानिक प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया है।

अनुमत आयु रेंज	आवेदन के समय विदेशी ध्वजांकित जलयानों के लिए प्रमाणन और गुणात्मक पैरामीटर
क	ख
1. तेल टैंकर	
जब 15 वर्ष से कम आयु की हो	जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं।
जब 15 से 20 वर्ष के बीच हो	परंतु, (i) जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं, और (ii) भारत सरकार के एक आरओ द्वारा जारी हल के लिए कैप 1 रेटिंग और मशीनरी एवं कार्गो सिस्टम के लिए कैप 2 रेटिंग।
जब 20 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो।	अनुमत नहीं

2. बल्क वाहक/ सामान्य कार्गो जलयान (समर्पित कंटेनर जलयान से इतर)	
जब 15 वर्ष से कम आयु की हो	जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं।
जब 15 से 20 वर्ष के बीच हो	परंतु, (i) जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं (ii) वैध स्वामित्व निरीक्षण रेटिंग जो तीन (3) से कम न हो।
जब 20 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो।	अनुमत नहीं
3. अपतटीय बेडा (इस आदेश के तहत पृथक से संबोधित बेडे से इतर)	
जब 15 वर्ष से कम आयु की हो	जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं।
जब 15 से 20 वर्ष के बीच हो	परंतु, (i) जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं, और (ii) जलयान का वैध ओवीआईडी निरीक्षण विगत एक वर्ष के भीतर किया गया है।
जब 20 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो।	अनुमत नहीं
4. विशेषीकृत जलयान (डाइविंग सहायता, भू- तकनीकी, पाइप बिछानेवाले, भूकंपीय सर्वेक्षण, वेल स्टिमुलेशन जलयान आदि)	
जब 15 वर्ष से कम आयु की हो	जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं।
जब 15 से 20 वर्ष के बीच हो	परंतु, (i) जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं, और (ii) जलयान का वैध ओवीआईडी निरीक्षण विगत एक वर्ष के भीतर किया गया है।
जब 20 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो।	अनुमत नहीं
5. समर्पित कंटेनर जलयान और समर्पित सीमेंट वाहक	
20 वर्ष तक	जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं।
जब आयु 20 वर्ष या अधिक हो	अनुमत नहीं

6. गैस/रसायन वाहक	
जब 20 वर्ष से कम की आयु हो	जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं।
जब 20 और 25 वर्ष के बीच आयु हो	परंतु, (i) जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं, और (ii) भारत सरकार के एक आरओ द्वारा जारी हल के लिए कैप 1 रेटिंग और मशीनरी एवं कार्गो सिस्टम के लिए कैप 2 रेटिंग।
जब 25 वर्ष से अधिक आयु हो	अनुमत नहीं
7. हार्बर टग्स	
20 वर्ष तक	जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं।
जब 20 वर्ष या अधिक आयु हो	अनुमत नहीं
8. लंबे टो में शामिल एएचटी और टग्स	
15 वर्ष तक	जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं।
जब 15 और 20 वर्ष के बीच आयु हो	परंतु, (i) जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं और (ii) जलयान का वैध ओवीआईडी या टीआईक्यू निरीक्षण विगत एक वर्ष के भीतर किया गया है।
जब 20 वर्ष या अधिक आयु हो	अनुमत नहीं
9. गैर-स्व-प्रणोदित सागर- जानेवाले कार्गो वाहक बार्ज (डंब बार्ज)	
20 वर्ष तक	जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं।
जब 20 वर्ष या अधिक आयु हो	अनुमत नहीं
10. उपरोक्त के अतिरिक्त जलयानों हेतु (पैरा 11 में छूट प्राप्त जलयानों को छोड़कर)	
20 वर्ष तक	जलयान के पास वैध पी एंड आई बीमा सहित वैध श्रेणी और कानूनी प्रमाण पत्र हैं।
जब 20 वर्ष या अधिक आयु हो	अनुमत नहीं

नौवीं अनुसूची
[नियम 11 देखें]

सेवा में,

[सक्षम प्राधिकारी]

[पदनाम, उदाहरणार्थ, प्रधान अधिकारी]

[कार्यालय का पता]

विषय: [अधिनियम का नाम] की धारा [प्रासंगिक धारा] के तहत अपराध के शमन के लिए आवेदन

आदरणीय महोदय/महोदया,

मैं, [पूरा नाम], पुत्र/ पुत्री [पिता का नाम], निवासी [पता], एतद्वारा, [अधिनियम का नाम] की धारा [प्रासंगिक धारा] के तहत अपराध के शमन के लिए यह आवेदन करता/करती हूँ।

1. आवेदक का विवरण

- पूरा नाम:
- पैन/पंजीकरण नं. :
- पता:
- संपर्क नंबर / ईमेल:

2. अपराध का विवरण

- अपराध की प्रकृति:
- उल्लंघन किए गए कानून के प्रासंगिक प्रावधान, उल्लंघन:
- अपराध की शुरुआत की तारीख:
- मामले के संक्षिप्त तथ्य:

3. कार्यवाहियों की स्थिति

- क्या अभियोजन, विस्तृत विवरण के साथ शुरू किया गया है।
- कार्यवाही का चरण (यदि आरंभ किया गया है) विस्तृत विवरण के साथ
- निर्णयन अधिकारी द्वारा जारी आदेश का विवरण

4. शमन की मांग करने के कारण

- मामले की परिस्थितियां स्पष्ट करें
- कोई दुर्भावपूर्ण मंशा न होने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करें,
- प्राधिकारियों को दिए गए सहयोग का विवरण प्रस्तुत करें,
- बकाया आदि का भुगतान।

5. अनुपालन की स्थिति

- चुकाए गए कर/ शुल्क/ शास्तियां, विवरण सहित
- कोई लंबित बकाया राशि, जारी आदेश के विवरण सहित

6. आवेदक द्वारा ऐसी भागीदारी के कारण प्राप्त भुगतानों और पारिश्रमिक अथवा प्रभारों का विवरण

7. वचन-पत्र

मैं प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित शमन प्रभारों का भुगतान करने और सभी अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

अतः मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता/करती हूँ कि अपराध का कानून के अनुसार शमन किया जाए।

स्थान:

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम (यदि लागू हो):

मुहर (यदि लागू हो)

दसवीं अनुसूची

[नियम 12 देखें]

न्यायनिर्णयन अधिकारी के शास्ति लगाने के आदेश के खिलाफ अपील।

अपील. ____ (1) अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति नीचे दिए गए प्रपत्र-1 में निर्दिष्ट प्रारूप में अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के तहत अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपील, आदेश मिलने की तारीख से तीस दिन के अंदर अपीलीय प्राधिकारी के पास दर्ज की जाएगी।

(3) अपील के साथ अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा जारी न्यायाधिकरण के आदेश की प्रति संलग्न होगी, जिसमें अपील के तथ्यों, अपील के आधारों तथा अधिनियम की संबंधित धाराओं का स्पष्ट विवरण होगा।

4) अपीलकर्ता खुद आकर या लिखित में किसी प्रतिनिधि को विधिवत प्राधिकृत करके या उनकी ओर से इस काम के लिए नियुक्त वकील द्वारा, या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तीन कॉपी में दर्ज कर सकता है।

(5) डाक से भेजी गई अपील, अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में मिलने वाले दिन ही अपीलीय प्राधिकरण में फाइल की हुई मानी जाएगी।

(6) अगर जांच करने पर अपील सही पाई जाती है, तो उसे मंजूर कर लिया जाएगा और अगर अपील में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो अपीलीय प्राधिकारी अपील करने वाले को त्रुटियों के बारे में बताएगी और उसे पंद्रह दिन के अंदर त्रुटियों को ठीक करने की अनुमति देगी और यदि अपील करने वाला तय समय में ऐसी त्रुटियों को ठीक नहीं कर पाता है, तो अपीलीय प्राधिकारी आदेश जारी करके और कारण लिखकर ऐसी अपील को रजिस्टर करने से मना कर सकती है और मना करने की तारीख से सात दिन के अंदर अपील करने वाले को इस निरसन की जानकारी दे सकती है।

(7) अपील प्राधिकारी, अपील की एक प्रति नोटिस के साथ प्रतिवादी को संदेशवाहक द्वारा या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजेगी।

(8) प्रतिवादी, अपील का नोटिस मिलने के सात दिन के अंदर अपीलीय प्राधिकारी को जवाब दे सकता है।

(9) अपीलीय प्राधिकारी, न्यायनिर्णयन अधिकारी से कार्यवाही से जुड़े रिकॉर्ड मांग सकती है।

(10) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता पक्षकारों को सुनवाई का मौका देने के बाद, ऐसे आदेश जारी कर सकती है जो उसे सही लगे।

(11) अपीलीय प्राधिकारी, अपील स्वीकार होने की तारीख से तीस दिन के अंदर अपील का निपटान करेगी।

4. आदेश और दंड. - (1) इन नियमों के तहत हर आदेश पर तारीख लिखी होगी, हस्ताक्षरित होगा और अपीलीय प्राधिकारी की मोहर लगाई जाएगी, इससे पहले कि उसे सभी पार्टियों को बताया जाए।

(2) इन नियमों के तहत दंड के तौर पर मिली सभी रकम भारत के समेकित निधि में जमा की जाएगी।

5. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश. - (1) धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन रहते हुए, अपीलीय प्राधिकारी निम्न कार्य कर सकता है—

(क) अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के अंतर्गत जिन आदेशों के विरुद्ध अपील की गई है, उनकी पुष्टि करना, संशोधित करना, रद्द करना या वापस करना;

(ख) आदेश द्वारा लगाए गए जुर्माने की पुष्टि करना या उसे कम करना या बढ़ाना या रद्द करना या अधिनियम के अनुसार कोई जुर्माना लगाना जहां प्रमुख अधिकारी द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया हो।

बशर्ते कि बढ़ा हुआ जुर्माना लगाने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक अपीलकर्ता को ऐसे बढ़े हुए जुर्माने के खिलाफ अपनी बात रखने का सही मौका न दिया गया हो और ऐसे बढ़ाए गए जुर्माने के कारणों को लिखित में ठीक से दर्ज न किया गया हो; और

(ग) मामले की परिस्थितियों के अनुसार वह ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे.

6. अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का प्रभाव. - अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया हर आदेश अंतिम होगा।

प्रपत्र-I.

अपीलीय प्राधिकरण को आवेदन

1. अपीलकर्ता का विवरण:

1.1. अपीलकर्ता का नाम:

1.2. अपीलकर्ता का पदनाम:

1.3. अपीलकर्ता का पता:

1.4. अपीलकर्ता का दूरभाष/मोबाइल नंबर:

1.5. अपीलकर्ता का ईमेल आईडी:

1.6 अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधित्व का नाम,

पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अगर कोई हो:

2. तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा 30 की उपधारा (2) के तहत अपील किए गए आदेश का विवरण:

2.1. तारीख:

2.2. संख्या:

2.3. न्यायनिर्णयन अधिकारी का नाम:

2.5. तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 की धारा जिसका उल्लंघन संदर्भ में है:

2.6. न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा लगाया गया जुर्माना:

3. अपील का विवरण:

3.1. तथ्यों का विवरण: (तथ्यों का छोटा सा ब्यौरा कालक्रमानुसार दें और पैराग्राफ नंबर के साथ मुद्दों को विस्तार से बताएं, जिसमें अपील में उठने वाले कानूनी सवाल भी शामिल हों, हर पैराग्राफ में जहां तक हो सके एक अलग मुद्दे पर बात होनी चाहिए)।

3.2. शिकायत का विवरण: (तटीय पोत परिवहन अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के साथ मुद्दों को विस्तार से बताते हुए शिकायत का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें)।

3.3. अपील के आधार: (अपील के स्पष्ट आधार और अपील का संक्षिप्त ब्यौरा और अगर कोई प्रासंगिक कानूनी नियम हैं, जिन पर भरोसा किया गया है, तो उनका ब्यौरा दें)।

3.4. साक्ष्य: (अपील के औचित्य/आधार के लिए साक्ष्य दें और एक से ज्यादा साक्ष्य होने पर, उनकी एक इंडेक्स्ड क्रोनोलॉजिकल लिस्ट दें)।

3.5. प्रार्थना: (प्रार्थित राहतें स्पष्ट रूप से बताएं)।

स्थान:

दिनांक:

(अपीलकर्ता के हस्ताक्षर)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2025

G.S.R. 911(E).— “The draft of the Coastal Shipping (Licencing of Foreign Vessels) Rules 2026, which the Central Government proposes to make, in the exercise of the powers conferred by Sections 4(1), 4(3), 4(4), 5(3), 11(3), 11(4), 12(2), 26(1), 26(3), 30(2) read with Sections 39(1), 39(2)(a), 39(2)(b), 39(2)(c), 39(2)(i), 39(2)(j), 39(2)(k) respectively and Section 39(2)(q) of the Coastal Shipping Act, 2025, is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Under Secretary (ML), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at usml-psw@gov.in within the period specified above. The objections or suggestions which may be received from any person concerning the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government”

1 Short Title, Commencement and Application

(1) These rules may be called the Coastal Shipping (Licencing of Foreign Vessels) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to

(a) every foreign flag vessel participating in coastal trade, and

(b) every foreign flag vessel chartered by a citizen of India or a non-resident Indian or an overseas citizen of India, or a company or a co-operative society or a limited liability partnership or any other entity as the Central Government may, by notification, specify in this behalf, proceeding to sea from a port or place in India, to a port or place outside India; or proceeding to sea from a port or place outside India, to a port or place in India or outside India.

2 Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) *Act* means the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025), as amended from time to time.

(b) *approved* means approved or accepted by the Director General,

(c) *coasting trade* means carriage of goods or passengers by sea from any port or place in India to any other port or place in India, or performing any service within coastal waters but shall not include fishing of any kind.

- (d) *coastal waters* means waters as defined in the Act.
- (e) *Exim trade* means carriage of goods or passengers by sea from any port or place in India to any other port or place outside India, or from any port or place outside India to any other port or place in India, or performing any service outside coastal waters and import of services.
- (f) *licence* means the licence issued by the Director-General under section 4 or section 11 of the Act.
- (g) *licensee* includes the owner or master or charterer or operator or any person operating the vessel under a licence granted to such vessel by the Director-General
- (h) *port* means port as defined in Merchant Shipping Act 2025 or Indian Port Act 2025.
- (i) *principal officer* means the principal officer of the Mercantile Marine Department referred to in the Merchant Shipping Act, 2025;
- (j) *proper officer* shall have the meaning assigned to it in clause (34) of section 2 of the Customs Act, 1962;
- (k) *vessel* includes every description of water craft, used or capable of being used in the marine environment, whether self-propelled or not, such as ship, boat, sailing vessel, fishing vessel, submersible, semi-submersible, hydrofoils, non-displacement crafts, amphibious crafts, wing-in-ground crafts, pleasure crafts, barges, lighters, mobile offshore drilling units and mobile offshore units.
- (l) *Schedule* means a Schedule to these rules;

3 Licence for coasting trade

- (1) No foreign flag vessel shall engage in coasting trade in the coastal waters, except under a licence granted by the Director-General.

4 Licence for exim trade and worldwide trade

- (1) No foreign flag vessel, chartered by a citizen of India or a non-resident Indian or an overseas citizen of India or a company or a co-operative society or a limited liability partnership or any other entity as the Central Government may, by notification specify in this behalf, shall be taken to sea from a port or place in India, to a port or place outside India; or proceeding to sea from a port or place outside India, to a port or place in India or outside India, except under a licence granted by the Director-General.

Provided that, no vessel which is chartered by an overseas citizen of India shall be required to obtain licence, if such vessel is chartered exclusively for operation outside India.

5 Application for licence

- (1) Application for the grant of a licence shall be made to the Director-General in the form and submit documents, as applicable, as per First Schedule.

- (2) The application for the grant of a licence shall indicate the class and category of licence requested based on the following description.

- a. Class of licence
 - i. Voyage charter
 - ii. Time charter
 - iii. Contract of Affreightment
- b. Category of licence
 - i. Export
 - ii. Import
 - iii. Coastal
 - iv. Worldwide
 - v. Offshore

- (3) A licensee, who intends to modify the particulars of the licence granted, may make an application to the Director-General as per Second Schedule.

(4) A licensee, who intends to extend the period of licence granted due to delay in completion of the voyage, may make an application to the Director-General as per First Schedule. In this case, a fresh NoC is not required to be obtained.

6 Fees for licence

(1) Payment of fee, shall be made as per Third Schedule as applicable for the type and duration of the licence.

7 Port clearance

(1) Every foreign flag vessel engaged in coastal trade or exim trade requiring a licence as per the rules shall produce to the proper officer a valid licence issued by the Director General for the purpose of port clearance.

8 Verification and issuance of Licence:

(1) The following details and documents shall be submitted to the Director-General for verification along with the application, namely: —

- a) declaration that the applicant has not engaged in violation of any of the provisions of the Act or rules in a previous instance;
- b) The licensee shall submit documents such as tenders, enquiries etc floated towards compliance to the Right of First Refusal (RoFR) to an Indian vessel requirements as specified at Fourth Schedule and compliance to Contract of Affreightment requirements as per Sixth Schedule.
- c) The licensee shall submit documents to confirm placement of Indian manning on board as per Seventh Schedule.

(2) Upon satisfactory verification of compliance including items at sub clause (a), (b) and (c) a licence shall be granted in the form, as per Fifth Schedule and shall be subject to conditions, as deemed fit.

9 Suspension, revocation or modification of licence

The Director-General may, by order in writing and for reasons to be recorded therein, suspend, revoke or modify a licence granted under the rules, if the licensee, or any person engaged by him—

- (a) violates any condition of the licence; or
- (b) fails to comply with any requirement under any law for the time being in force applicable to the vessel; or
- (c) fails to comply with a direction issued under section 35 of the Act; or
- (d) fails to pay any fine or serve any sentence imposed under the Act:

Provided that the suspension, revocation or modification of licence under the rules shall not absolve the licensee from his obligation for payment of any fine or penalty, or undergoing any punishment, imposed on him under the Act.

10 Detention of a Foreign vessel under the Act.

When a vessel is found to be in violation of the provisions of the Act or these Rules, the Principal Officer shall detail the vessel and a notice of detention shall be served as per the Merchant Shipping (Port State Control and Flag State Implementation) Rules, 2026.

11 Application for compounding of offences under the Act.

An application for the compounding of an offence shall be made to the compounding officer in the form as per Ninth Schedule

The sum to be paid for credit to the Central Government for compounding an offence on a case shall be determined by the compounding officer upon assessing the fine involved, the value of all fees or commission or payments received by the licensee of the vessel for all voyages conducted in contravention and incidental expenses. The compounding officer shall issue an order indicating the sum to be paid for credit to the Central Government towards compounding of offence.

12 Application for Appeal against penalties imposed.

An application against the penalty imposed by the adjudicating officer shall be made in the form as per Tenth Schedule.

13. Repeal.

The Merchant Shipping (Forms of Licences) Rules, 1960 notified vide GSR 280 dated 26th February, 1960 and any other notification or general order issued by the Central Government in relation to licensing of vessels shall stand repealed.

[F. No. SY-19014/182/2025-MG]

RAJESH KUMAR SINHA, Special Secy.

First Schedule :	Application for the grant of a licence
Second Schedule :	Application for amendments to the licence granted
Third Schedule :	Fees for licence
Fourth Schedule :	Right of First Refusal (RoFR)
Fifth Schedule :	Licence format
Sixth Schedule :	Guidelines for Grant of Licence for Contract of Affreightment (COA)
Seventh Schedule :	Guidelines for Manning Requirements on Licensed Foreign Vessels
Eighth Schedule :	Certification and qualitative parameters for foreign flag vessels seeking Licence
Ninth Schedule :	Application for Compounding of Offence
Tenth Schedule :	Appeals against order of Adjudicating officer imposing penalty.

FIRST SCHEDULE

[See rule 5(1) & 5(4)]

PROCEDURE FOR APPLYING FOR CHARTERING OF FOREIGN FLAG VESSELS

1. In line with the Government of India's objective of promoting "Ease of Doing Business", the Directorate General of Shipping has developed a dedicated online portal to facilitate the issuance of licenses for chartering of foreign-flag vessels. This digital initiative enhances transparency, accountability, and efficiency by streamlining the application process.

In case of non-availability of the above portal, an application on the letter head with all details, documents and fees receipt shall be submitted to Director General.

2. For online application submission, login into the e-Samudra Portal

(1) The applicant shall log into the e-Samudra Portal at <https://esamudra.dgshipping.gov.in> and select the option "Charter Permission for Foreign Flag Vessels."

(2) In case of a new user, registration as a Charterer shall be made under e-Samudra Portal at <https://esamudra.dgshipping.gov.in>.

3. Application Workflow for online application

(1) Log in to the e-Samudra portal and select the module "Charter Permission for Foreign Flag Vessels."

(2) Determine whether the proposed chartering is to be carried out through a Global Tender. Global tender or open tender are those tenders for which a tender advertisement has been duly published in a national or international newspaper or commercial websites or website of the agency/organization/company floating the tender.

a. If the proposed chartering is through global Tender

- i. Following fields shall be duly filled by the applicant as per Table 1 below.
- ii. Upload all required supporting documents as prescribed under paragraph 4 of this Schedule.
- iii. Preview the application before submission to ensure correctness of all particulars.
- iv. Make payment of the prescribed licence fee through Bharatkosh.
- v. Submit the application to the Director General through the e-Samudra portal.
- vi. Upon satisfactory verification of the application and documents, the Director General may grant approval for the chartering of the foreign flag vessel, after which the applicant may operate the vessel under the licence granted.

b. If the proposed chartering is not through global Tender

- i. If the charter is not through a Global Tender, the applicant shall first fill the Enquiry Form for availability of Indian flag vessels, along with the payment of a processing fee of Rupees Five Thousand (Rs. 5,000).

- ii. Indian vessel owners may offer Indian flag vessels for chartering pursuant to such enquiry.
- iii. If an Indian flag vessel is selected for charter, the process shall stand concluded.
- iv. If no Indian flag vessel is available or selected, the applicant may proceed to fill the Application Form for Foreign Flag Vessel.
- v. Following fields shall be duly filled by the applicant as per Table 1 below.
- vi. Upload all required supporting documents as prescribed under paragraph 4 of this Schedule.
- vii. Preview the application before submission to ensure correctness of all particulars.
- viii. Make payment of the prescribed licence fee through Bharatkosh.
- ix. Submit the application to the Director General through the e-Samudra portal.
- x. Upon satisfactory verification of the application and documents, the Director General may grant approval for the chartering of the foreign flag vessel, after which the applicant may operate the vessel under the licence granted.

4. Submission of Documents

Every applicant shall upload, along with the online application, a single consolidated PDF file containing the following documents, arranged in the order given below:

1. Online submitted application;
2. Proof of payment of fees (Bharatkosh receipt);
3. NOC or Tender document, whichever is applicable (including proof of tendering, if Global Tender has been followed);
 1. Charter Party Agreement or Fixture Note;
 2. Certificate of Registry;
6. P & I Club Certificate;
 1. International Ship Security Certificate;
 2. Safe Manning Document;
 3. International Tonnage Certificate;
 4. Classification or Class Certificate;
 5. International Load Line Certificate;
 6. International Oil Pollution Prevention Certificate;
 7. Cargo Ship Safety Construction Certificate;
 8. Cargo Ship Safety Equipment Certificate;
 9. Cargo Ship Safety Radio Certificate;
 10. International Sewage Pollution Prevention Certificate;
 11. International Air Pollution Prevention Certificate;
 12. Safety Management Certificate;
 13. Document of Compliance;
 14. LRIT Certificate;
 15. Certificate of Fitness to Carry Chemicals (NLS Certificate), if applicable;
22. Compliance report to Qualitative parameter as per Eighth Schedule
23. IMO Crew List indicating compliance to the manning by Indian officer or crew as required as per Seventh Schedule, duly signed by the Master, with valid Passport, CoC and Seaman ID; and
24. Any other document, as may be required by the Directorate General of Shipping.

Applicants shall ensure that all particulars such as quantity of cargo, laycan period, port of loading, port of discharge, and other details correspond accurately with the NOC or Tender documents. Quantities shall be indicated with proper units (e.g., MT, KBBL).

Table 1 — Data Fields for Application

(A) Ship Particulars

Sr. No.	Field
1	IMO Number*
2	Name of the Vessel*
3	Ship Type*
4	Flag*
5	Dead Weight (DWT)
6	Quantity of Cargo you propose to carry*
7	Port of Loading*
8	Date of Delivery*
9	Age of Vessel (in years)*
10	Gross Tonnage*
11	Nature of Cargo*
12	Laycan*
13	Period of Charter (in Days)*
14	Port Clearance Date
15	Total Number of Crew as per Safe Manning Document*
16	Total Number of Indian Cadet*
17	Total Number of Indian Crew (incl. Cadet)*
18	Indian Crew Percentage
19	Indian Cadet Percentage

(B) Address Particulars

Sr. No.	Field
1	Applicant Name
2	Applicant Phone Number
3	Applicant e-Mail ID
4	Country
5	Door No./Flat No./Building Name
6	Fax
7	Lane/Street
8	Web-Page URL
9	Village/Town/City
10	State
11	Pin Code

12	Name of Charterer*
13	Charterer Nationality
14	Country
15	Door No./Flat No./Building Name, etc.
16	Fax
17	Lane/Street
18	Web-Page URL
19	Village/Town/City
20	State
21	Pin Code
22	Phone
23	E-mail
24	Name & Address of Owner
25	Name & Address of Deponent Owner

(C) Certificate Particulars

Sr. No.	Field
1	Name of Certificates
2	Status
3	Issued By
4	Date of Issue
5	Date of Expiry
6	Last Annual/Intermediate Survey Date
7	Remarks (if any)
8	Upload

SECOND SCHEDULE

[See rule 5(3)]

PROVISIONS AND PROCEDURE FOR AMENDMENT TO LICENCE**1. General Provisions**

- (1) Not more than two amendment requests shall be permitted in respect of the same licence.
- (2) Not more than three parameters can be amended in respect of a licence. Any requests for amendments involving more than three parameters shall be treated as a fresh case.
- (3) Any variation in laycan period exceeding one week on either side shall be treated as a fresh case.
- (4) A fresh case shall mean that the applicant shall be required to follow the procedure as per First Schedule.

2. Procedure for Applying for Amendment through the e-Samudra Portal

- (1) The applicant shall log into the e-Samudra Portal at <https://esamudra.dgshipping.gov.in> using valid credentials.
- (2) Navigate to the module “Dashboard”
- (3) Select the concerned vessel and click on the “Amendment” tab.
- (4) Make the required changes in the applicable data fields as permitted under the rules.
- (5) Upload supporting documents justifying the amendment, in a single consolidated PDF file.

- (6) Preview the application and ensure correctness of all entries.
- (5) Pay the prescribed amendment fee online via Bharatkosh.
- (6) Submit the amendment application electronically through the e-Samudra portal.
- (7) Upon satisfactory verification, the Directorate General of Shipping may approve the amendment and issue an updated Licence Certificate, which may be viewed and downloaded from the portal under the “Certificate” section.

3. In case of non-availability of the above portal, an application on the letter head with all details, documents and fees receipt shall be submitted to Director General.

THIRD SCHEDULE

[See rule 6 (1)]

PROCEDURE AND FEES FOR LICENCE AND AMENDMENT

1. Procedure for Payment of Fees through Bharatkosh is as under:-
2. Visit <https://bharatkosh.gov.in>.
3. Click on “Non-Registered Users.”
4. Under Depositor’s Category, select “Corporate/Commercial Undertaking.”
5. Under Purpose, select “REGISTRATION AND OTHER FEES PAYABLE TO PAO SHIPPING MUMBAI (PAYMENT TO DG SHIPPING MUMBAI).”
6. Under Payment Type, select “PAYMENT TO DG SHIPPING MUMBAI.”
7. Under Ministry, select “SHIPPING.”
8. Enter the applicable amount.
9. Under Remarks, fill the following details:
 - a. Name of Vessel
 - b. Name of Charterer
 - c. Online Application Number and Date
 - d. Laycan
 - e. Fee for ____ ship licence / chartering permission / SPL (mention as appropriate)
9. Proceed further to complete the payment process.
10. Fees Applicable for Various Types of Chartering Permission

The fee structure applicable for issuance of chartering permissions or licences for foreign-flag vessels, as per SD Circular No. 02 of 2010 dated 04.02.2010 and its subsequent amendments, is illustrated below in Table 2: Details of Fees.

Table 2: Details of Fees

Type of Chartering Permission	Fees Applicable	Example Calculation
Fees for enquiry for Indian Vessel	Rs. 5000/- per application	-
Import/Export on Single Voyage Basis	Rs. 40,000/- for the first 30 days and for every contiguous block of 30 days thereafter, including fractions in terms of days.	40 or 60 days → Rs. 80,000/-

Import/Export on Time Charter Basis	Rs. 40,000/- for the first 30 days, plus Rs. 1,500/- per day for any fraction beyond the first 30 days.	40 days → Rs. 55,000/- [Rs. 40,000 + (Rs. 1,500 × 10)]
Single Voyage Coastal Permission (SVCP)	Rs. 60,000/- for the first 30 days and for every contiguous block of 30 days thereafter, including fractions.	40 or 60 days → Rs. 1,20,000/-
Coastal on Time Charter Basis	Rs. 60,000/- for the first 30 days; any fraction beyond these blocks is charged at Rs. 1,500/- per day plus Rs. 20,000/- for the fractional period.	40 days → Rs. 95,000/- [60,000 + 20,000 + (1,500 × 10)]
Worldwide Time Charter	Rs. 70,000/- for the first 30 days; any fraction beyond these blocks is charged at Rs. 1,500/- per day plus Rs. 30,000/- for the fractional period.	40 days → Rs. 1,15,000/- [70,000 + 30,000 + (1,500 × 10)]
Offshore Operation (SPL)	Rs. 40,000/- per ship per month for foreign-flag vessels operating in offshore operations.	40 days → Rs. 80,000/- [Rs. 40,000/- × 2 months]
Late Fees	Rs. 50,000/-	—
Amendment Fees	Rs. 10,000/-	—

3. Additional Levy for Offshore Vessels

4. In addition to the fees specified in Table 2 above, a separate levy shall be charged on charterers of offshore vessels that are not classed with the Indian Register of Shipping (IRS) and are more than 25 years of age. The levy shall be payable to the Directorate General of Shipping as under:

- For self-propelled offshore service vessels of all descriptions—such as Anchor Handling Tugs, Tugs, Supply Vessels, Support Vessels, etc.—the levy shall be one percent (1%) of the rate of charter hire per day in US dollars multiplied by the number of days for which charter hire permission is issued.
- For non-propelled vessels, such as Dumb Barges, Pontoons, Non-propelled Accommodation Barges, Jack-up Rigs, etc., the levy shall be twenty-five percent (25%) of the amount prescribed under sub-clause (a) above.

The payment of the levy prescribed herein shall be made by following the steps mentioned in Part 1 of this schedule.

FOURTH SCHEDULE

[See rule 8(1)(b)]

GUIDELINES FOR EXERCISE OF RIGHT OF FIRST REFUSAL (ROFR)

1. Background and Objective

To strengthen the Indian shipping ecosystem and promote self-reliance in maritime transportation, a structured framework has been established for the exercise of the Right of First Refusal (ROFR) during the chartering of foreign-flag vessels.

The objective is to ensure priority to Indian-flagged and Indian-built vessels, support indigenous shipbuilding, and enhance employment opportunities for Indian seafarers while ensuring competitive pricing in tendering processes.

2. Chartering or engagement of foreign flag vessels done through tendering process, for all types of requirement.

2.1. The chartering/engagement of vessels through “tender process” as mentioned above shall only be applicable for open/global tenders and chartering/engagement by other means shall be considered as “chartering/engagement through non-tender processes”. The “tender process” shall be considered valid within the following definition:

2.1.1. Tenders shall be open or global tender, for which a tender advertisement has been duly published in a national or international newspaper or commercial websites or website of the agency/organization/company floating the tender;

2.1.2 Tender contains technical specifications and commercial terms and conditions of the vessel provided in the tender advertisement. If there is a dispute relating to technical specifications of the vessel given in the tender advertisement, the matter may be referred to DGS for decision as to whether the Indian vessel with a slight difference in specifications should be chartered/engaged, and not the foreign flag vessel. As far as practicable, this decision will be taken after discussion with the concerned parties.

3. Right of First Refusal:

"Right of first refusal" is a right which accrues to a bidder in a tendering process, who offers a vessel from the category listed at Para 3.3.4, subject to his matching of the lowest rate offered by a bidder who offers a vessel not listed under Para 3.3.4. The order of preference for right of first refusal will be as indicated at para 3.3.4. This right is conferred based upon the practices of the industry, and the deliberate intention of the Central Government towards encouragement and development of the Indian ship- building industry and the Indian shipping industry.

3.1. Unless the vessel offered is successful in the evaluation of technical bid, the bidder concerned will not be eligible to exercise the Right of First Refusal under this circular.

3.2. Whenever charter/engagement of vessel is undertaken through a tender process specified in Para 20, the provisions of these guidelines are required to be incorporated.

Whether the guidelines have been incorporated in any tender or not, the said guidelines would be deemed to have been incorporated as a part of the tender documents.

3.3. The instances under which the ROFR may be exercised are:

3.3.1. The L1 bidder is a Foreigner or an entity registered outside India, offering a vessel not listed at Para 3.3.4.

3.3.2. The L1 bidder is a Citizen of India OR company registered in India OR Society registered in India with a vessel not listed at Para 3.3.4.

3.3.3. From amongst the bidders eligible to exercise ROFR, the priority to exercise this Right would lie in sequence mentioned in Para 3.3.4 below and in case more than one bidder is available in a particular category, then from the lowest to the highest bidder within the margin of purchase preference. The exercise of ROFR would cease as soon as an eligible bidder in order of priority matches L1. The first priority would be given to any bidder who offers an Indian built, Indian flagged and Indian owned vessel. In the absence or unavailability of Indian built, Indian flagged and Indian Owned vessel, the ROFR will move to Foreign built, Indian flagged, Indian owned vessel and then to Indian built, foreign flagged and foreign owned vessel.

3.3.4 For further clarity the grant of RoFR would be as follows:-

- (a) Indian built, Indian flagged and Indian owned,
- (b) Indian built, Indian flagged and Indian IFSCA owned,
- (c) Foreign built, Indian flagged and Indian owned,
- (d) Foreign built, Indian flagged and Indian IFSCA owned,
- (e) Indian built, foreign flagged and foreign owned

Provided that

1. All vessels flying the flag of India (ie. registered in India) up to the date of issue (mid night of the date) of new circular by the Director General of Shipping, shall be deemed to be Indian built vessels and will fall in category (a) above.

2. The Foreign flagged vessels permitted by the DG Shipping, under section 406 of the MS Act, 1958, for chartering by an Indian citizen/company/society, who is building a ship in an Indian shipyard for registration under Indian flag, as a temporary substitute for the Indian Ship under construction, meeting the following two condition, shall be deemed to fall under category [a] above:

- a) The 25% of the contract money has been paid to Indian shipyard
- b) The 50% of the hull fabrication has been completed, as may be certified by a Recognized Organization

The duration of licences to such chartered vessel shall be limited to period of building of the Ship, as mentioned in the shipbuilding contract."

3. Where a bidder offering a vessel not falling within the categories specified in para 3.3.4 gives an undertaking to convert such vessel to the categories specified in para 3.3.4 (a) or (b) prior to commencement of operations but later than the price bid opening, such vessel can be considered only when and if a bidder offering any vessel falling within the categories specified in para 21.3.4 has failed to match the lowest price. In such event the tender-awarding authority shall incorporate deterrent penalties in the award of tender to ensure that the bidder giving the undertaking will convert the vessel to any of categories specified in para 3.3.4 (a) or (b) before commencement of operations as undertaken.

3.3.5. Further, RoFR shall be applicable to all inquiries for in-charter of foreign flagged vessels within a 20% margin of purchase preference (price band) i.e. the maximum extent to which the price quoted by an Indian Company may be above the L1 for the purpose of purchase preference.

3.3.6. In case none of the bidders eligible to exercise RoFR matches the L1 quote, then the charter shall be awarded to the L1 bidder.

4. The bidder who exercises RoFR should meet the commercial requirement by matching the lowest Composite Effective Price. It is further clarified that there shall be no price preference in favour of any vessel. The Composite Effective Price is the derived figure from the various price inputs submitted by a bidder/participant in a tender process, wherein all the costs/inputs are summarized. While working out such Composite Effective Price, inputs such as daily hire/daily rate, mobilization/demobilization charges, call out rates and conversion charges etc. are taken into account.

FIFTH SCHEDULE

[See rule 8(2)]

Format of Licences

1. In order to ensure uniformity and transparency in the issuance of licences and approvals under these Rules, the following standard formats shall be adopted by the Directorate General of Shipping, Mumbai. These formats are to be used for various types of chartering permissions and related approvals as detailed below.

Form-A: In-Principle Approval for Chartering of Vessels under Contract of Affreightment (CoA)

No. _____

Dated: _____

To/ सेवामे

M/s.

C/o M/s.

Subject: In-principle approval for chartering of vessels under Contract of Affreightment (CoA) for Shipment from “ ” to “ ”, .

Sir,

With reference to your application dated _____ on the above subject, I am directed to inform that the Competent Authority has accorded 'In-principle approval' for transportation of ____ Shipments each of quantity about _____ of _____ from “ ” to “ ”, on Contract of Affreightment (COA) during the period from _____ to _____.

Since the payment for 'In principle' approval for COA has already been made, necessary approval for each shipment should be taken after making the balance payment of 50% as and when the vessel (s) is/ are finalized during the period of contract from _____.

Signature of Issuing Authority

Form-B: Chartering Permission-cum-Licence for Foreign Flag Vessels (Import / Export / Coastal)

चार्टरिंग अनुमति-सह लाइसेंस
Chartering Permission-cum License

सं./No. _____

दिनांक /Dated: _____

To/ सेवा मे

मेसर्स / M/s

C/o M/s

विषय : विदेशी ध्वज पोत ' _____ ' के लिए चार्टर अनुमति/लाइसेंस प्रदान करना।

Sub.: Grant of Charter permission/License for foreign flag vessel " _____ ".

उपर्युक्त विषय पर दिनांक _____ के आपके आवेदन के संदर्भ में मुझे सूचित करना है कि सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार विदेशी ध्वज पोत ' _____ ' को चार्टरिंग की अनुमति प्रदान की है:

With reference to your application dated _____ on the captioned subject, the permission for chartering of the foreign flag ship ' _____ ' is accorded as per the details mentioned below.:

-

1. जलयान का नाम/Name of vessel
2. आईएमओ संख्या/IMO Number
3. ध्वज/Flag
4. अनुमति का प्रकार/Type of permission
5. स्वामी का नाम/Name of the Owner
6. डिस्पोजेंट
7. स्वामी/Disponent Owner
8. चार्टरर का नाम/Name of Charterer
9. माल/Cargo
10. मात्रा/Quantity
11. लेकन/Laycan
12. चार्टर की अवधि/Period of Charter
- लोडिंग का पत्तन/Port of loading

- माल उतारने का
13. पत्तन/Port of discharge
14. पी एंड आई क्लब/P & I Club
15. क्लास /Class

16. शर्तें/Conditions

1. यह अनुमति/लाइसेंस इस शर्त के अधीन है कि आप चार्टर/लाइसेंस अवधि के दौरान हर समय वैध सभी लागू प्रमाणपत्र और पोत के पी एंड आई क्लब प्रमाणपत्र को अपने पास रखेंगे/This Permission/License is subject to the condition that you shall keep all applicable certificates and P&I club certificate of the vessel, valid at all times during the charter/License period.
2. भारतीय जलक्षेत्र में परिचालन करते समय पोत पर उपयोग किए जाने वाले समुद्रीय मोबाइल वी-सैट टर्मिनल को 14.12.2018 को अधिसूचित संचार मंत्रालय के उड़ान और समुद्री संपर्क नियम, 2018 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा/Maritime Mobile V-SAT terminal used on-board the vessel while operating in Indian waters needs to Comply with requirements specified in the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018 of the Ministry of Communication notified on 14.12.2018.
3. उपरोक्त विवरण में किसी भी परिवर्तन से लाइसेंस अमान्य हो जाएगा/ Any changes in the above particulars renders the license invalid.

Signature of Issuing Authority

Form-C: Chartering Permission for Offshore / Specified Period Licence (SPL)

चार्टरिंग अनुमति-सह लाइसेंस

Chartering Permission-cum License

-

सं./No. _____

दिनांक /Dated: _____

To/ सेवा मे

मेसर्स /M/s. ----

C/o M/s ---

-

विषय : विदेशी ध्वज जलयान '-----' के लिए चार्टर अनुमति/लाइसेंस प्रदान करना।

Sub.: Grant of Charter permission/License for foreign flag vessel "-----".

1.	जलयान का नाम/Name of vessel	
2.	आईएमओ संख्या/IMO Number	
3.	ध्वज/Flag	
4.	अनुमति का प्रकार/Type of permission	
5.	अपतटीय कार्य करने वाली कंपनी का नाम/Name of the company performing offshore work	
6.	अवधि / Period	
7.	संचालन का क्षेत्र /Area of operation	
8.	पी एंड आई क्लब/P & I Club	
9.	क्लास /Class	
10.	शर्तें/Conditions	1. यह अनुमति/लाइसेंस इस शर्त के अधीन है कि आप चार्टर/लाइसेंस अवधि के दौरान हर समय वैध सभी लागू प्रमाणपत्र और पोत के पी एंड आई क्लब प्रमाणपत्र को अपने पास रखेंगे/This Permission/License is subject to the condition that you shall keep all applicable certificates and P&I club certificate of the vessel, valid at all times during the charter/License period. 2. भारतीय समुद्र में परिचालन करते समय पोत पर उपयोग किए जाने वाले समुद्रीय मोबाइल वी-सैट टर्मिनल को 14.12.2018 को अधिसूचित संचार मंत्रालय के उड़ान और समुद्रीय संपर्क नियम, 2018 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा/Maritime Mobile V-SAT terminal used on-board the vessel while operating in Indian waters needs to Comply with requirements specified in the Flight and Maritime Connectivity Rules, 2018 of the Ministry of Communication notified on 14.12.2018. 3. उपरोक्त विवरण में किसी भी परिवर्तन से लाइसेंस अमान्य हो जाएगा/ Any changes in the above particulars renders the license invalid.

		4. सामान्य पोत चालन कर्मीदल के अलावा .. व्यक्तियों से अधिक न ले जाए जाएं / Not to carry more than xx persons other than normal ship operating crew.
11.	डीपीए का नाम और संपर्क विवरण/Name and contact details of DPA	

उपर्युक्त विषय पर आपके आवेदन के संदर्भ में आपको यह सूचित करने का मुझे निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विदेशी ध्वज पोत '_____' को भारतीय समुद्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार चलाए जाने हेतु अनुमति प्रदान की है:

With reference to your application on the captioned subject, I am directed to inform you that the competent authority has accorded permission for operation in Indian waters for the foreign flag ship '_____' as per the details mentioned below:

Signature of Issuing Authority

SIXTH SCHEDULE

[See rule 8(1) (b)]

Guidelines for Grant of Licence for Contract of Affreightment (COA)

1. Applicability of Contract of Affreightment (COA)

A Contract of Affreightment (COA) applies in circumstances where transportation of cargo is required on a long-term, repetitive, or continuous basis involving multiple voyages under a single commercial agreement, without the need to nominate a specific vessel at the time of contracting. It is used when a fixed quantity of cargo must be moved over several months or years, where vessel deployment needs to remain flexible, or where the charterer seeks stable freight rates over the duration of the contract. COAs are typically required bulk commodities that cannot be moved in a single voyage or must be carried in multiple lots due to operational or commercial considerations. The COA framework ensures long-term cargo commitments are executed through competitive tendering with an opportunity for Indian tonnage to participate under the Right of First Refusal (ROFR), and DG Shipping approval is required for the entire period of cargo movement under the COA.

2. Guidelines for the purpose of Granting of licence for vessels on COA

- I. The period of licence on COA proposals shall normally be limited to one year. However, in exceptional cases where the charterer can furnish good and sufficient reasons, it may be extended for a further period of 2 years. The maximum permissible period shall be 3 years.
- II. The charterer should circulate the enquiry/or invite International Competitive Bidding (ICB) from shipowners including Indian shipowners including Indian shipowners through INSA and Indian Coastal Conference Shipping Association (ICCSA).

- III. In case no offer is received from the Indian shipowners within 2 stipulated working days, the charterer shall be free to apply to Director General for licence in favour of foreign flag vessels proposed to be chartered.
- IV. The Indian shipowners, who participate in the bid, shall be entitled to exercise the right of first refusal subject to the following conditions. Those shipowners who have not participated in the bid shall not have any right to claim the same at a later stage:-
- i. The Indian flag vessels offered by the Indian shipowners should broadly satisfy all the technical and commercial requirements of the trade;
 - ii. The Indian shipowners shall be eligible to exercise the right of first refusal only if they match the lowest price quoted against foreign flag vessels. In case more than one party matches the lowest rate, the eligible party to participate in the bid shall be decided on the basis of the original rate quoted;
 - iii. Indian shipowners shall identify and offer their own vessel(s) for the entire performance of the proposed COA. In case the vessel(s) offered by the Indian shipowners is under construction, such offers shall be considered only against an undertaking furnished by Indian shipowners that the vessel(s) shall be converted to Indian flag prior to the commencement of the contract;
 - iv. In the absence of adequate number of Indian flag vessels, chartering of foreign flag vessels by Indian shipowners shall be permitted upto 5/6th (five sixth) of the total requirement of the quantity of the contract. In case, Indian shipowners do not have 1/6th (one sixth) of tonnage required, they will not be entitled to exercise the right of first refusal. The charterer will inform the Director General, the quantity/volume of tonnage moved by Indian flag vessel versus foreign flag vessel on monthly basis to ensure fulfilment of this condition at the time of completion of the contract.
 - v. In case the "right of first refusal" is exercised by the Indian shipowner, it shall be mandatory to deploy the same vessel(s) for the entire performance of the COA and Indian shipowner shall not be allowed to offer the same vessel(s) for any other COA. In contingent situations, Indian shipowner will be allowed to substitute the vessel(s) with other Indian flag vessel(s) from his own fleet, but not with any foreign flag vessel;
 - vi. To maintain transparency the charterer shall keep proper documentation to ensure that all records are maintained correctly to demonstrate fulfilment of 10% price difference criteria for right of first refusal.
- V. The charterer shall submit the proposal for "in principle approval" after satisfying the above conditions and supported by necessary documents and requisite processing fee for the entire period of COA. The initial fee shall be payable for estimated voyages as applicable in case of voyage permission. The charterer should furnish details on the type and number of vessels, nature and quantity of cargo proposed to be carried, loading and discharge ports, period of contract, etc. at the initial stage itself.
- VI. During the execution of the COA, the charterer shall submit the final proposal to the Director General as and when the vessel(s) is/are identified supported with the requisite documents. At this stage the charterer shall pay 50% of voyage permission fee.
- VII. (i) If INSA or any of the Shipping Companies bring to the notice of the Director General that a charterer has violated any of the provisions of these Guidelines while chartering foreign-flag vessels, the Director General after due verification of the complaint shall take appropriate measures to penalize the charterer concerned as he may consider necessary to prevent recurrence of such events.
- (ii) If there is a doubt that technical specifications of the vessel given in the enquiry / or ICB were drawn up with the deliberate intention of avoiding Indian-flag vessels, the matter may be referred to the Director General for decision as to whether the Indian vessel with minor difference in specifications should be chartered, and not the foreign flag vessel. As far as practicable, this decision will be taken after discussion with the concerned parties.
- (iii) If past payment due on charter of Indian-flag ships is not cleared in time, the Director General may decide that no further licence is granted to applicants who are in such arrears.
- VIII. In case of dispute on any of the provisions contained in these guidelines, the decision of the D.G. Shipping shall be final and shall be binding on all the parties concerned.

SEVENTH SCHEDULE**[See rule 8 (1) (c)]****Guidelines for Manning Requirements on Licensed Foreign Vessels****1. Applicability**

This Schedule applies to all foreign-flag vessels licensed under these Rules for engagement in coastal trade, offshore operations, or related maritime activities in Indian coastal waters.

2. Manning Requirements

(a) Licence period exceeding 30 days but up to 90 days:

A minimum of one-third (1/3) of the total crew (officers and ratings), as per Safe Manning norms or actual deployment—whichever is higher—shall be Indian nationals holding valid Indian certificates.

(b) Licence period exceeding 90 days:

A minimum of one-half (1/2) of the total crew (officers and ratings), as per Safe Manning norms or actual deployment—whichever is higher—shall be Indian nationals holding valid Indian certificates.

3. Engagement of Trainee Cadets

(a) Of the Indian crew engaged under clauses (a) and (b) above, a minimum of fifteen percent (15%) shall be trainee cadets or trainee officers, distributed as far as practicable equally between the navigational and engineering departments.

(b) Shipowners may, at their discretion, replace any number of Indian crew engaged under clauses (a) and (b) above with Indian cadets.

4. Cumulative Charter Period

Where the licence period is not continuous, including cases involving multiple charterers, the above manning requirements shall apply whenever the cumulative licence period for that vessel exceeds 30 or 90 days, respectively, in a calendar year. The manning condition shall take effect from the day the threshold is crossed.

5. Calculation Method

For determining the number of Indian personnel required (officers and crew, excluding cadets), any fractional number shall be rounded up to the next higher integer.

EIGHTH SCHEDULE**[See rule 5(1) and First Schedule]****Certification and qualitative parameters for foreign flag vessels seeking Licence**

1. Foreign flagged vessels requiring licence shall be complying with the certification and qualitative parameters as below at the time of applying for the licence. Foreign Flag vessels exceeding the entry age range shall not be considered for issuance of license. Vessels within the entry age range shall be in possession and compliance with the certification and qualitative parameters at the time of application of licence.
2. The following requirements shall not be applicable to Passenger Vessels, FSRU, FPSO, Highly Specialized vessels (inter alia, Heavy Lift Installation Barge, crane barge, Pipe laying vessel, cable laying vessel, Research Vessel and Floating Docks), Dredgers, DP2 Diving Support Vessels, DP2 Well Stimulation Vessels and Drilling/Production units certified under MODU/SPS Code, as applicable.
3. The age of the vessel shall be computed from the "date of delivery" as mentioned in the Cargo Ship Safety Construction Certificate or any other Statutory Certificate issued under IMO Convention/Code.

Permitted Age Range	Certification and Qualitative Parameter for Foreign Flag vessels at the time of application
A	B
1. OIL TANKERS	
When below 15 years of age	Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance.
	Provided,

When between 15 and 20 years	(i) Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance, and (ii) CAP 1 rating for Hull and CAP 2 for Machinery & cargo systems issued by an RO of GoI.
When, 20 years of age or above.	not permitted
2. BULK CARRIER/GENERAL CARGO VESSELS (Other than <i>Dedicated Container Vessel</i>)	
When below 15 years of age	Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance.
When between 15 and 20 years	Provided, i. Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance. ii. Valid Rightship Inspection rating of not less than three (3).
When 20 Years of age or above	not permitted
3. OFFSHORE FLEET (Other than those addressed separately under this Order)	
When below 15 years of age	Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance.
When between 15 and 20 years	Provided, (i) Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance, and (ii) valid OVID inspection of the vessel done within last one year.
When 20 Years of age or above	Not Permitted.
4. SPECIALISED VESSELS (Diving Support, Geo-technical, Pipe laying, Seismic Survey, Well Stimulation vessel etc)	
When below 15 Years of age	Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance.
When between 15 and 20 years	Provided, (i) Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance, and (ii) valid OVID inspection of the vessel done within last one year
When 20 Years of age or above	not permitted
5. DEDICATED CONTAINER VESSELS AND DEDICATED CEMENT CARRIERS	
Up to 20 years	Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance.
When 20 Years of age or above	Not Permitted.
6. GAS/CHEMICAL CARRIERS	
When below 20 years of age	Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance.
When between 20 and 25 years	Provided; (i) Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance, and (ii) CAP 1 rating for Hull and CAP 2 for machinery and cargo systems from an RO of GoI.

When 25 Years of age or above	Not Permitted.
7. HARBOUR TUGS	
up to 20 years	Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance.
When 20 Years of age or above	Not Permitted.
8. AHT's & TUGS INVOLVED IN LONG TOW	
up to 15 years	Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance.
When between 15 and 20years	Provided, i. Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance. ii. Valid OVID or TIQ inspection of the vessel done within last one year
When 20 Years of age or above	Not Permitted.
9. NON-SELF-PROPELLED OCEAN-GOING CARGO CARRYING BARGES (Dumb Barges)	
up to 20 years	Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance.
When 20 Years of age or above	Not Permitted.
10. FOR VESSELS, OTHER THAN ABOVE (except those exempted at para 11)	
up to 20 years	Vessel is holding valid class and statutory certificates including valid P&I Insurance.
When 20 Years of age or above	Not Permitted.

NINTH SCHEDULE

[See rule 11]

To

The [Competent Authority]

[Designation, e.g., Principal Officer]

[Office Address]

Subject: Application for Compounding of Offence under Section [relevant section] of the [Act name]

Respected Sir/Madam,

I, [Full Name], son/daughter of [Father's Name], residing at [Address], hereby submit this application for compounding of offence under Section [relevant section] of the [Act name].

1. Details of Applicant

- Full Name:
- PAN/Registration No.:
- Address:
- Contact No./Email:

2. Details of Offence

- Nature of offence committed:
- Relevant provisions of law violated:

- Date(s) of commission of offence:
- Brief facts of the case:
- 3. Status of Proceedings
 - Whether prosecution has been launched with details.
 - Stage of proceedings (if launched) with details
 - Details of Order issued by Adjudicating officer
- 4. Reasons for Seeking Compounding
 - Explain circumstances of the case
 - submit evidence as to no malafide intention,
 - submit details of cooperation extended to authorities,
 - payment of dues, etc.
- 5. Compliance Status
 - Taxes/levies/penalties paid with details.
 - Any pending dues with details of order issued
- 6. Details of payments and remunerations or charges received by the applicant due to such engagement with details
- 7. Undertaking

I undertake to pay the compounding charges as may be determined by the authority and to comply with all conditions imposed.

I therefore humbly request that the offence may kindly be compounded as per law.

Place:

Date:

(Signature of Applicant)

Name:

Designation (if applicable):

Seal (if applicable)

Tenth Schedule

[See Rule 12]

Appeals against order of Adjudicating officer imposing penalty.

Appeal. ____ (1) Any person aggrieved by an order of the Adjudicating Officer under sub-section (1) of section 30 of the Act may prefer an appeal to the Appellate Authority under sub-section (2) of section 30 of the Act in the format specified at Form-I below.

(2) The appeal shall be filed with the Appellate Authority within a period of thirty days from the date of receipt of the order.

(3) The appeal shall be accompanied by a copy of the order of the Adjudicating Officer issued sub-section (1) of section 30 of the Act with mention of a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal, and the relevant section of the Act.

4) The appeal shall be filed in triplicate by the appellant in person or by his duly authorized representative in writing or by an advocate duly appointed in this behalf, or by registered post or speed post or through electronic means.

(5) The appeal sent by post shall be deemed to have been filed to the Appellate Authority on the day it is received by the office of Appellate Authority.

(6) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be admitted and in case the appeal is found to be defective, the Appellate Authority shall intimate the appellant about the defects and allow him to rectify the defects within a period of fifteen days and if the appellant fails to rectify such defects within the time-period, the Appellate Authority may by order and reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant within a period of seven days from the date of refusal.

(7) A copy of the appeal along with notice shall be served by the Appellate Authority on the respondent, by hand or by registered post or speed post or through electronic means.

(8) Respondent may, within a period of seven days of service of notice of appeal, file a reply to the Appellate Authority.

(9) The Appellate Authority may call for the records relating to the proceedings from the Adjudicating Officer.

(10) The Appellate Authority may, after giving the parties to the appeal an opportunity of being heard, pass such orders as it may consider appropriate.

(11) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within a period of thirty days from the date of admission of the appeal.

4. Order and penalties. - (1) Every order under these rules, shall be dated, signed and affixed with the seal of Appellate Authority before it is communicated to all the parties.

(2) All sums realised by way of penalties under these rules shall be credited to the Consolidated Fund of India.

5. Orders passed by the Appellate Authority. - (1) Subject to sub section (3) of section 30, the Appellate Authority may _

(a) confirm or modify or set aside or reverse the orders appealed against under sub-section (2) of section 30 of the Act;

(b) confirm or reduce or enhance or set aside the penalty imposed by the order or impose any penalty in accordance with the Act where no penalty was imposed by the principal officer.

Provided that no order imposing an enhanced penalty shall be made unless the appellant has been given a reasonable opportunity of making a representation against such enhanced penalty and reasons for such enhancement have been duly recorded in writing; and

(c) pass such orders as it may deem fit in the circumstances of the case.

6. Effect of orders passed by the Appellate Authority. - Every order passed by the Appellate Authority shall be final.

Form-I.

APPLICATION TO THE APPELLATE AUTHORITY

1. Details of the Appellant:

1.1. Name of the Appellant:

1.2. Designation of the Appellant:

1.3. Address of the Appellant:

1.4. Telephone/ Mobile No. of the Appellant:

1.5. Email Id. of the Appellant:

1.6. Name, Address, Telephone/Mobile No. and Email Id.

of the Legal Representative of the Appellant, if any:

2. Details of the Order appealed against under sub-section (2) of section 30 of the Coastal Shipping Act, 2025:

2.1. Date:

2.2. Number:

2.3. Name of Adjudicating Officer:

2.5. Section of the Coastal Shipping Act, 2025 to which the contravention has reference:

2.6. Penalty imposed by the Adjudicating Officer:

3. Details of Appeal:

3.1. Statement of Facts : *(Provide a concise statement of facts in a chronological order and with paragraph numbers containing an elaboration of issues, including the questions of the law arising in the appeal, each paragraph should deal with as far as possible a separate issue).*

3.2. Description of Grievance: *(Provide a concise description of grievance elaborating issues with the order of the adjudicating officer sub-section (1) of section 30 of the Coastal Shipping Act).*

3.3. Grounds of Appeal: *(Provide clear grounds of the appeal and concise description of the appeal and the relevant legal provisions, if any, relied upon.).*

3.4. Evidence: *(Provide evidence for the justification/ grounds for appeal and in case of more than one evidence, an indexed chronological list thereof).*

3.5. Prayer: *(Clearly stipulate the reliefs sought).*

Place:

Date:

(Signature of Appellant)